बिहार सरकार

fcgkj ljdkj

vkink izca/ku foHkkx

ck<+ vkink izca/ku dk fy, ekud lapkyu izfØ;k

Standard Operating Procedure For Flood Disaster Management

njHkk"k la[;k% 0612& 2215500@0612&2215100

jkT; fu;a=.k d{k% 0612&2217305

Fax-0612-2217786

website:http://disastermgmt.bih.nic.

bZ&esy& **secy-disastermgmt-bih.@nic.in**

vuØef.kdk

विषय	*पृ0 सं0*

1- lLFkkRed <kpk 2

2- ck< iol r;kfj;k 4

3- ck< d nkjku jkgr ,o cpko 14

4- ck< d i'pkr dh tku okyh dkjokb;k 24

5- ck<xLr {k=k dk iufuek.k 27

6- vuyXud&

(i) अनु0–1 बिहार राज्य में बाढ़ प्रवण जिलों की सूची 29

(ii) अनु0–2 बिहार राज्य में अति बाढ़ प्रवण जिलों की सूची 30

(iii) अनु0–3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के गठन की अधिसूचना सं0 1502 दिनांक 13.6.08 31–32

(iv) अनु0–4 बाढ़ पूर्व तैयारियों का चेकलिस्ट 33–34

(v) अनु0–5 (क) साहाय्य कार्यों में लगे दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण संबंधी पत्र सं0 3438 दिनांक 17.11.09 35

(vi) अनु0–5 (ख) बाढ़ राहत हेतु निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण के संबंध में पत्र सं0 2272 दिनांक 26.7.07 36

(vii)) अनु0–6 बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा के संबंध में पत्र सं0 1504 दिनांक 1.9.05 37–38

(viii) अनु0–7 (क) पॉलिथीन शीटस के क्रय के संबंध में पत्र सं0 1495 दिनांक 13.6.08 39

(ix) अनु0–7 (ख) पॉलिथीन शीटस के क्रय के संबंध में पत्र सं0 210/प्र0 दिनांक 25.6.09 40

(x) अनु0–8 बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों का चेकलिस्ट 41–42

(xi) अनु0–9 बाढ़ आपदा के दौरान नाव/नाविकों के संबंध में दिशा निर्देश का पत्र सं0 12/प्र0 दिनांक 19.1.09 43–44

(xii)	अनु0–10 मानदर के मद सं0 1(च) के अन्तर्गत खाद्यान्न/नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र सं0 2765 दिनांक 25.9.08	45–46
(xiii)	अनु0–11 2005–10 तक के लिए प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैया कराने के संबंध में पत्र सं0 2462 दिनांक 12.8.07	47–62
(xiv)	अनु0–12 प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में पत्र सं0– 70 दिनांक 12.1.09	63
(xv)	अनु0–13 (क) दैनिक बाढ़ प्रतिवेदन प्रपत्र–I	64
(xvi)	अनु0–13 (ख) साप्ताहिक बाढ़ प्रतिवेदन प्रपत्र IX	65
(xvii)	अनु0–14 (क) जिला /प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बkढ़/ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र सं0 1388 दिनांक 24.7.04	66–68
(xviii)	अनु0–14 (ख) नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र सं0 1004 दिनांक 8.7.05	69–71
(xix)	अनु0–14 (ग) वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र सं0 3883 दिनांक 11.12.07	72–73
(xx)	अनु0–15 बाढ़ के पश्चात की जानेवाली कार्रवाइयों का चेकलिस्ट	74
(xxi)	अनु0–16 राहत केन्द्र के संबंध में पत्र सं0 2493 दिनांक 5.9.08	75–77

<u>*ck< vkink ds le; viuk;h tkus okyh ekud lapkyu izfd;k ¼***Standard Operating Procedure)**</u>

राज्य के 28 जिले (सूची अनुलग्नक–1 पर) बाढ़ प्रवण जिले हैं। इनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिले हैं (सूची अनुलग्नक–2 पर संलग्न)। इन जिलों में बाढ़ पूर्व आवश्यक तैयारियों, बाढ़ के दौरान बचाव एवं राहत का प्रबंधन तथा बाढ़ के उपरान्त पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन/निदेश/अनुदेश निर्गत किये गये हैं । इसी क्रम में बाढ़ आपदा के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (**Standard Operating Procedure)** *dk fuEuor~ fu/kkj.k fd;k tkrk g%*

1 lLFkkRed <kpk

1-1 jkT; dk;Zdkfj.kh lfefr

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22(2)(जी) के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। उक्त समिति बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग या किसी प्राधिकार या निकाय को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।

1-2 ukMy foHkkx

बाढ़ आपदा प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के सचिव/प्रधान सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निदेशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

1-3 jkT; d vU; foHkkx

बाढ़ आपदा प्रबंधन में राज्य सरकार के संबंधित विभागों की भूमिका होती है। सभी विभाग अपने–अपने कार्य क्षेत्र में राज्य एवं जिला स्तर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिन विभागों/एजेन्सियों की बाढ़ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है वे निम्न प्रकार हैः–

1. आपदा प्रबंधन विभाग
2. कृषि विभाग
3. गृह विभाग
4. जल संसाधन विभाग
5. लघु जल संसाधन विभाग
6. मानव संसाधन विभाग
7. उर्जा विभाग
8. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
9. स्वास्थ्य विभाग
10. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
11. ग्रामीण विकास विभाग
12. ग्रामीण कार्य विभाग.
13. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
14. भवन निर्माण विभाग
15. . पथ निर्माण विभाग
16. समाज कल्याण विभाग
17. सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
18. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
19. बिहार राज्य खाद्य निगम
20. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
21. पर्यावरण एवं वन विभाग

1-4 *ftyk vkink izca/ku izkf/kdkj*

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 30 (2) (xvi) के अनुसार जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है जिससे संबंधित अधिसूचना सं0 1502 दिनांक 13.6.08 अनुलग्नक 3 पर संलग्न है। उक्त प्राधिकार बाढ़ आपदा के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। जिला प्रशासन के मुखिया होने के नाते आपदा प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण (Command and Control) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो सरकार की नीतियों, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार जिला पदाधिकारी ''घटना कमाण्डर'' (Incident Commander) के रूप में कार्य करेंगे अथवा आवश्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को किसी अन्य पदाधिकारी को भी सौंप सकेंगे। जिले में राज्य सरकार एवं आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा एजेन्सियॉ ''घटना कमाण्डर'' (Incident Commander) -एवं जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर से नीचे की तमाम प्रशासनिक ईकाईयॉ यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, जो क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं, वे अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करेंगी। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर Incident Command टीम का गठन किया जाएगा जो अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी।

2- Ckk< iwoZ rS;kfj;k

राज्य के 28 जिलों में बाढ़ लगातार आने वाली आपदा है। अतः यह आवश्यक है कि इन जिलों में बाढ़ आपदा का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु बाढ़ पूर्व तैयारियॉ कर ली जाए। ऐसा होने से बाढ़ आने की दशा में त्वरित रिस्पौंस एवं राहत पहुंचाने में सहूलियत होगी एवं बाढ़ से जनता को होने वाली कठिनाईयों को कम किया जा सकेगा। अतएव बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में निम्न कार्रवाईयॉ की जाएगी ¼pdfyLV vuqyXud 4 ij layXu½।

2-1 o"kkZ ekid ;U=k dh ejEefr

सभी बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रखंड परिसर में वर्षा मापक यंत्र अधिष्ठापित किये गये हैं। जहां जिन प्रखंडों में वर्षा मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं हैं, वहां उन यंत्रों को अधिष्ठापित कराया जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सभी वर्षा मापक यंत्रों का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यंत्र कार्यरत हों । जहां यंत्रों के मरम्मति की आवश्यकता होगी, वहां मरम्मति करा कर यंत्रों को चालू हालत में रखा जाएगा।

2-2 o"kkZikr vkadMk dk izs"k.k

1ली जून से प्रारम्भ कर प्रतिदिन 8.00 बजे सुबह से अगले दिन 8.00 बजे सुबह तक के वर्षापात के ऑकड़ों को उसी दिन सुबह 9.00 बजे तक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एस0एम0एस0 से अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को भेज देंगे। तत्पश्चात वर्षापात के ऑकड़ों का प्रतिवेदन ई–मेल/फैक्स अथवा वायरलेस के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा। जिला पदाधिकारी अपने जिला के वर्षापात के ऑकड़ों का समेकन कर उसी दिन 12.00 बजे मध्याह्न् तक आपदा प्रबंधन विभाग/जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग तथा भारतीय मौसम विभाग पटना को QSDl@bZ&esy ls Hkstuk lqfuf'pr djsxsA वर्षापात के ऑकड़ों का प्रेषण 1ली जून से प्रारंभ कर 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से किया जाता रहेगा।

2-3 ck< ls izHkkfor gksus okys lEHkkfor {ks=ksa ,oa lkdVxzLr 0;fDr leqgksa dh igpku ,oa utjh uD'kk rS;kj djuk

पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के सहयोग से बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले संभावित गॉवों/टोलों की पहचान कर ली जाएगी। इसी प्रकार बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले नगरीय वार्डों आदि की पहचान वार्ड स्तर पर गठित उपरोक्त समिति के सहयोग से कर ली जाएगी।

- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान करते समय पूर्व के इतिहास/अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए पंचायत /वार्ड स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित की जायेंगी जहां

ग्रामीणों के सहयोग से समिति द्वारा अपनी पंचायत के गाँवों के संबंध में सूचनाएँ इकट्ठा की जाएंगी।

- समिति के सहयोग से गरीब परिवारों, निराश्रितों, निःशक्त जनों, बीमार व्यक्तियों आदि, जो बाढ़ आने की दशा में सर्वाधिक कठिनाई का सामना करते हैं, की पहचान की जायेगी।
- बाढ़ से प्रभावित स्थलों की सूचनाओं को समेकित कर प्रखंड स्तरीय समिति के सहयोग से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा प्रखंड स्तर पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों तथा संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की सूची तैयार की जाएगी।
- तद्नुसार प्रत्येक प्रखंड के लिए बाढ़ से प्रभावित संभावित क्षेत्रों का नजरी नक्शा तैयार कर लिया जाएगा। इस नक्शे में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, उँचे स्थल, सरकारी भवन, अस्पताल, प्रखंड मुख्यालय, राजमार्ग आदि सभी स्पष्ट रूप से दर्शाये जाऐंगे । इस प्रकार तैयार नक्शे में भौगोलिक निदेशांक (Geographical Co-ordinates) भी अंकित किए जाएं, ताकि खोज, राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न कर्मियों /राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स (एन0डी0आर0एफ0)/राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0)/ गैर सरकारी संस्थाओं के स्वयं सेवकों आदि को निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। सभी कार्रवाईयॉ अधिकतम 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी।
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ग्राम स्तर पर गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं की पहचान कर ली जाएगी। तद्नुसार प्रत्येक प्रखंड में इसकी सूची बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर पर तैयार की जाएगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस सूची की एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो बाढ़ आने की दशा में मोबाईल मेडिकल टीमों को यह सूची उपलब्ध करा देंगे। ऐसा होने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं के स्वास्थ्य की बेहतर देख–भाल करने में सुविधा हो सकेगी।

2-4 *lalk/ku ekufp=.k %&*

पंचायत/प्रखंड स्तरीय समितियों के सहयोग से बाढ़ से निपटने के लिए गॉव/पंचायतों/प्रखंड़ों में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार की जाएगी। जिन संसाधनों की सूची तैयार की जाएगी उनमें प्रमुख संसाधन निम्न होंगेः–

¼**a**½ *vpy {k= eä miyC/k futh uko*

जो निजी नावें उपलब्ध होगी उनके नाविकों/मालिकों के साथ इस आशय का एकरारनामा कर लिया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जिले अथवा जिले के बाहर किसी भी क्षेत्र में साहाय्य कार्य के लिए भेजा जा सकता है। साथ ही निजी नावों को देय भाड़े का निर्धारण भी

करा लिया जाएगा। निजी नावों को देय भाड़े की दरों का निर्धारण एवं नाविकों की मजदूरी संबंधी निदेश क्रमशः विभागीय पत्रांक 3438 दिनांक 17.11.09 एवं पत्रांक 2272 दिनांक 26.7.07 द्वारा निर्गत है। *vu|yXud 5¼d½ ,o| 5¼[k½* पर संलग्न है।

¼**b**½ *i|jku| ljdkjh ukok| dh ejEefr*

प्रखंड़/अंचल में उपलब्ध सभी पुरानी सरकारी नावों की गहनी/मरम्मति 15 जून तक पूरी कर इन नावों को परिचालन योग्य बनाया जाएगा। जो नावें परिचालन योग्य नहीं बनायी जा सकतीं उन्हें निर्धारित प्रक्रिया अपना कर उनका अपलेख कर दिया जाएगाA

¼**c**½ *ub| ljdkjh ukok| dk fuek|.k*

जिन जिलों को नई नावों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि भेजी गयी हो वे जिले अधिकतम 15 जून तक नई नावों का निर्माण करा लेंगे। सरकारी नावों के परिचालन हेतु नाविकों की पहचान कर उनका निबंधन 15 जून तक कर लिया जायेगा।

¼**d**½ *t|ujVj l|V@i|VkeDl@V|UV@egktky vkfn dh miyC/krk*

बाढ़ के समय जेनरेटर सेट/ पेट्रोमेक्स/टेन्ट/महाजाल /लाईफ जैकेट की आवश्यकता पड़ती है। अतएव प्रखंड/जिलों में इन संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कर आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बना ली जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे तुरंत सम्पर्क स्थापित किया जा सके। साथ ही साथ इनका भाड़ा दर निर्धारित कर लिया जाएगा। दर निर्धारण संबंधी प्रक्रिया विभागीय पत्रांक 1504 दिनांक 1.9.05 द्वारा निर्गत है । *vu|yXud 6 ij l|yXuA*

¼**e**½ *jkT; [kk| fuxe d| xkknkek| e| [kk|kUu dh miyC/krk*

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है इसका आकलन कर लिया जाएगा ताकि आवश्यक होने पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सहमति से इनका उपयोग किया जा सके। इसके लिए राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाएगी तथा संभावित बाढ़ के पूर्व ही आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित कराया जाएगा। राज्य खाद्य निगम का पूर्व से लंबित बकाये का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

¼**f**½ *lRr|@ued@pMk@xM@ekecRrh@fn;klykb|@fdjklu r|y vkfn dh miyC/krk dk vkdyu] nj fu/kkj.k ,o| vU; 0;oLFkk,|*

- बाढ़ आने की दशा में बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत पहुँचाने हेतु सूखा खाद्य यथा– चूड़ा/गुड़/सत्तू/नमक आदि की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार मोमबत्ती/दियासलाई/किरासन तेल आदि की भी आवश्यकता हो सकती है। अतएव

बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक, दियासलाई, मोमबत्ती आदि की उपलब्धता का आकलन कर निविदा के माध्यम से दर निर्धारित कर ली जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी उपलब्धता में विलम्ब न हो। दर निर्धारण संबंधी प्रक्रिया विभागीय पत्रांक 1504 दिनांक 1.9.05 द्वारा निर्गत है। *vu|yXud&6 ij l|yXuA*

- इन सामग्रियों का पैकेट तैयार करने हेतु जिला/प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर ली जाएगी।
- जन वितरण प्रणाली की दूकानों में किरासन तेल के उठाव एवं उपलब्धता का आकलन कर लिया जाएगा ताकि आवश्यकता होने पर बाढ़ पीड़ितों को उसे भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।

<u>¼**g**½ *ikWyhFkhu 'khVl dk Ø;*</u>

बाढ़ आने की दशा में बाढ़ प्रभावितों को वर्षा एवं धूप से बचाने के लिए पॉलीथीन शीटों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव पॉलीथीन शीटों के आकलन के अनुसार इनका क्रय कर पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया जाएगा। पॉलीथीन शीटों के क्रय की प्रक्रिया विभागीय पत्रांक 1495 दिनांक 13.6.08 एवं पत्रांक 210(प्र0) दिनांक 15.6.09 द्वारा निर्गत है। *vu|yXu 7 ¼d½ ,o 7 ¼[k½ ij l|yXu* । केन्द्रीय क्रय संगठन (डी0जी0एस0 एण्ड डी0) द्वारा संवेदित दर पर पॉलीथीन शीटों का क्रय बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 ङ(131 E) के अनुसार किया जा सकता है।

<u>¼**h**½ *ekuo nok dh miyC/krk*</u>

बाढ आने की दशा में विभिन्न तरह की जल–जनित बीमारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जनता रोगग्रस्त हो जाती है। सांप काटने की घटनाएँ भी काफी संख्या में होने लगती हैं। अतएव सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला अस्पतालों / अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं प्राथमिक चिकित्सा उप केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में हेलोजन टैबलेट,क्लोरीन टैबलेट दवाईयॉ तथा सांप काटने की सुई उपलब्ध हो। डायरिया की रोक–थाम के लिए ओ0आर0एस0 घोल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर का भी भंडारण रखा जाएगा।

<u>¼**i**½ *i'k| nok dh miyC/krk*</u>

बाढ़ के दौरान पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतएव पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता का आकलन पशुपालन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयार कर लिया जाएगा यदि दवा की कमी होगी तो आवश्यकता अनुसार पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग द्वारा दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

(j½ i'kq pkjs dh miyC/krk

बाढ़ के समय पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतएव पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों के साथ पशु चारे की उपलब्धता का आकलन कर लिया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एक जिले से दूसरे जिले अथवा राज्य के बाहर से चारा मंगाने की व्यवस्था की जाएगी। पशु चारा भंडारण हेतु आवश्यक व्यवस्था जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(k) *[kk|kUu ds l/kkj.k gsrq xksnkeksa dk fpfUgdj.k*

ऐसा देखा जाता है कि बाढ़ के दौरान मुफ्त खाद्यान्न के वितरण के समय खाद्यान्नों को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि बाढ़ के समय सड़कें क्षतिग्रस्त रहती हैं, अतएव खाद्यान्न के परिवहन में कठिनाई आ सकती है। अतएव पंचायत/प्रखंड स्तरों पर ऐसे सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाएगी जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु खाद्यान्नों के गोदाम के रूप में व्यवहार में लाया जा सके। ऐसे गोदामों में बाढ़ के पूर्व आवश्यकतानुसार खाद्यान्न के भंडारण हेतु राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उन गोदामों का जहां फुडग्रेन बैंक(अनाज बैंक) के रूप में खाद्याान्न का भंडारण हो रहा हो, उपयोग में लाया जाएगा। गोदामों का चिन्हिकरण अधिकतम 15 जून तक अचूक रूप से कर लिया जाएगा।

2-5 *ukfodksa@ukoksa ds yfEcr etnwjh@HkkM+s dk Hkqxrku*

हर हाल में बाढ़ आने के पूर्व गत वर्षों के व्यवहार में लाये गये नावों के नाविकों की मजदूरी एवं निजी नावों के भाड़े का भुगतान कर दिया जाएगा। इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ सम्पादित किया जाएगा।

2-6 *[kkst] cpko ,oa jkgr nyksa dk xBu*

जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग एवं यू0एन0डी0पी0 समर्थित कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाढ़ के समय ''खोज एवं बचाव'' तथा ''बचाव एवं राहत'' आदि कार्यों के लिए जिला पुलिस/होमगार्ड तथा समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से कई व्यक्ति गोताखोरी में प्रशिक्षित हैं जिनका उपयोग बाढ़ में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार बाढ़ के दौरान स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को मदद पहुंचाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार आदि के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है । ऐसे प्रशिक्षित मानव संसाधन का डाटाबेस जिला और राज्य स्तर पर तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार इस डाटाबेस में सभी का पूर्ण पता, दूरभाष एवं मोबाइल संख्या आदि अंकित कर इसे अपडेट कर लिया जाएगा एवं खोज एवं बचाव/बचाव एवं राहत/

प्रथमिक उपचार टीमों का गठन कर लिया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग हो सके।

2-7 *'kj.k LFkyk dh igpku*

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंध अथवा उॅचे स्थलों / सड़कों/बांधों के किनारे शरण लेते हैं । अतएव संभावित शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाएगा। यह शरण स्थल उॅचे स्थानों पर स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य उॅचे भवन हो सकते हैं । उॅचे शरण स्थलों की सूची अधिकतम 15 जून तक संकलित कर ली जाएगी और उसका संचार माध्यमों से प्रचार किया जाएगा। बांध अथवा सड़क के किनारे जहां लोग अमूमन शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए। ऐसे चिन्हित स्थलों पर पेय जल की व्यवस्था यदि न हो तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा Highhead चापाकल गाड़ा जाएगा। साथ ही वहां पर मेडिकल कैम्प लगाने एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था हेतु स्थल चिन्हित कर लिया जाएगा। अति बाढ़ प्रवण जिलों में कोसी प्रलय की ही भांति मेगा शिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति के समय मेगा शिविर लगाया जा सके।

2-8 *{k=h; i;Zo{kdk dh ifrfu;fDr*

बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित स्थानों की पहचान करने के उपरान्त बाढ़ प्रवण अंचलों में क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 15 जून के पूर्व ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंपे जाएगें। इनका उत्तरदायित्व बाढ़ प्रभावित परिवारों एवं बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों की सूची पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सहयोग से तैयार करना, राहत वितरण ,नावों के परिचालन का पर्यवेक्षण तथा आबादी के निष्क्रमण कार्यों का समन्वय करना होगा । इस संबंध में जिला पदाधिकारी विस्तृत निदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के साथ उनकी सहायता के लिए अन्य सरकारी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि टीम के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में काम हो सके। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की टीम में खोज/बचाव एवं राहत दलों के स्थानीय प्रशिक्षित सदस्यों को रखा जाएगा और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा अपना कम्यूनिकेशन प्लान तैयार रखा जाएगा। कम्युनिकेशन प्लान में निम्न सूचनाएँ अवश्य रखी जाएगीः

(i) क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली पंचायतों के मुखिया/पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारी/ग्राम पंचायत के सदस्यों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(ii) क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली पंचायतों के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों एवं स्थानीय नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं आदि, जिनका सहयोग बाढ़ राहत में लिया जा सकता हो, के नाम, पते, दूरभाष एवं मोबाइल संख्या।

(iii) क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली पंचायतों में गठित पंचायत राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष एवं मोबाइल संख्या।

(iv) जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/अंचल अनुमण्डल एवं जिला नियंत्रण कक्ष/ स्थानीय थानाध्यक्षों/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जल संसाधन विभाग के स्थानीय अभियंताओं आदि के दूरभाष एवं मोबाइल संख्या।

(v) राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक/गोदाम प्रबंधक/सहायक गोदाम प्रबंधक/ज0वि0प्र0 के बिक्रेताओं आदि के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(vi) स्थानीय खोज एवं बचाव/राहत एवं बचाव दल के सदस्यों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(vii) नावों के परिनियोजन की आकस्मिक योजना संबंधी जानकारी।

2-9 *rVc/kk dh lj{kk*

जिलों में तटबंधों तथा जमींदारी बांधों की मरम्मति एवं सुदृढ़ीकरण के सभी स्वीकृत कार्य 15 जून तक पूरे कर लिए जाएगें। जिला पदाधिकारी द्वारा इन सभी कार्यों की निरन्तर समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अभियंता इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी तटबंधों के आक्राम्य एवं संवेदनशील स्थलों की पहचान तथा ऐसे स्थलों को बाढ़ के दौरान टूटने से बचाने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का भी आकलन करेंगे। तटबंधों के आक्राम्य एवं संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार खाली बोरा, लोहे की जाली, बोल्डर आदि की व्यवस्था रखी जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर तटबंध सुरक्षा का कार्य तुरंत किया जा सके। जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों की सुरक्षा के लिए गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की तैनाती एवं अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिये जाऐंगे।

2-10 *lMdk dh ejEer*

बाढ़ के पूर्व जिलों की मुख्य सड़कों, खासकर जिला मुख्यालय को अंचल से जोड़नेवाली सड़कों की मरम्मति कर ली जाएगी। ताकि राहत सामग्रियों को पहुँचाने में सुविधा हो सके। साथ ही पुल–पुलियों की भी मरम्मति कर उन्हें यातायात के लिए सुगम बना दिया जाएगा।

2-11 *ukMy inkf/kdkjh dk ukfeu'ku*

जिला, अंचल एवं पंचायत स्तर पर बाढ़ राहत कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी नामित कर उनका नाम, पता, दूरभाष, मोबाईल संख्या एवं फैक्स संख्या आदि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र /जिला नियंत्रण कक्ष में रखी जाए तथा उसकी प्रति आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारियों को उनके कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा ताकि वे अपने उत्तरदायित्व से पूर्णरूपेण अवगत हो सकें।

2-12 *vkikrdkyhu lpkyu dUn@fu;=.k d{k dk dk;jr djuk*

आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी बाढ़ प्रवण जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। बाढ़ आने के पूर्व ही इन केन्द्रों के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर ली जाएगी ताकि बाढ़ आते ही ये केन्द्र स्वतः कार्यरत हो सकें। इसी प्रकार अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने हेतु पूर्व तैयारियॉ कर ली जायेंगी ताकि बाढ़ आते ही नियंत्रण कक्ष अहर्निश (24 X 7) कार्यरत हो सके। आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार वाहनों, दूरभाष, मोबाईल, खोज बचाव एवं राहत दलों आदि की व्यवस्था रहेगी ताकि आवश्यक होने पर उनका उपयोग किया जा सके।

2-13 *lpkj ;kstuk* (Communication Plan)

- जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी अपने कार्यालय एवं आवासीय दूरभाषों को चालू हालत में रखेंगे। जिला स्तर पर सभी संबंधित पदाधिकारियों/विभागों की दूरभाष निर्देशिका (Telephone Directory) बना ली जाएगी। दूरभाष निर्देशिका में जन प्रतिनधियों, आवश्यक सेवाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों आदि के दूरभाष/मोबाइल संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा ताकि उसका उपयोग बाढ़ के समय हो सके। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस वायरलेस सिस्टम की जांच कर ली जाएगी कि वह चालू स्थिति में है अथवा नहीं । चालू स्थिति में न रहने पर उसे ठीक करवा लिया जाएगा ताकि बाढ़ के समय उसका उपयोग हो सके।

- जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला पदाधिकारी द्वारा यह व्यवस्था कर ली जाएगी कि जिले से प्रवाहित होने वाली नदियों के जल स्तर की सूचना मॉनसून की वर्षा प्रारंभ होने के उपरान्त प्रतिदिन एक सुनिश्चित समय पर प्राप्त हो । संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- यह व्यवस्था कर ली जाएगी कि जिले में बाढ़ आने की सूचना जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/जिला नियंत्रण कक्ष/जिला पदाधिकारी एवं राज्य सरकार को नियमित रूप से प्राप्त हो सके। सूचना प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया जाएगा। सूचना प्रवाह निम्न अनुसार होगाः–

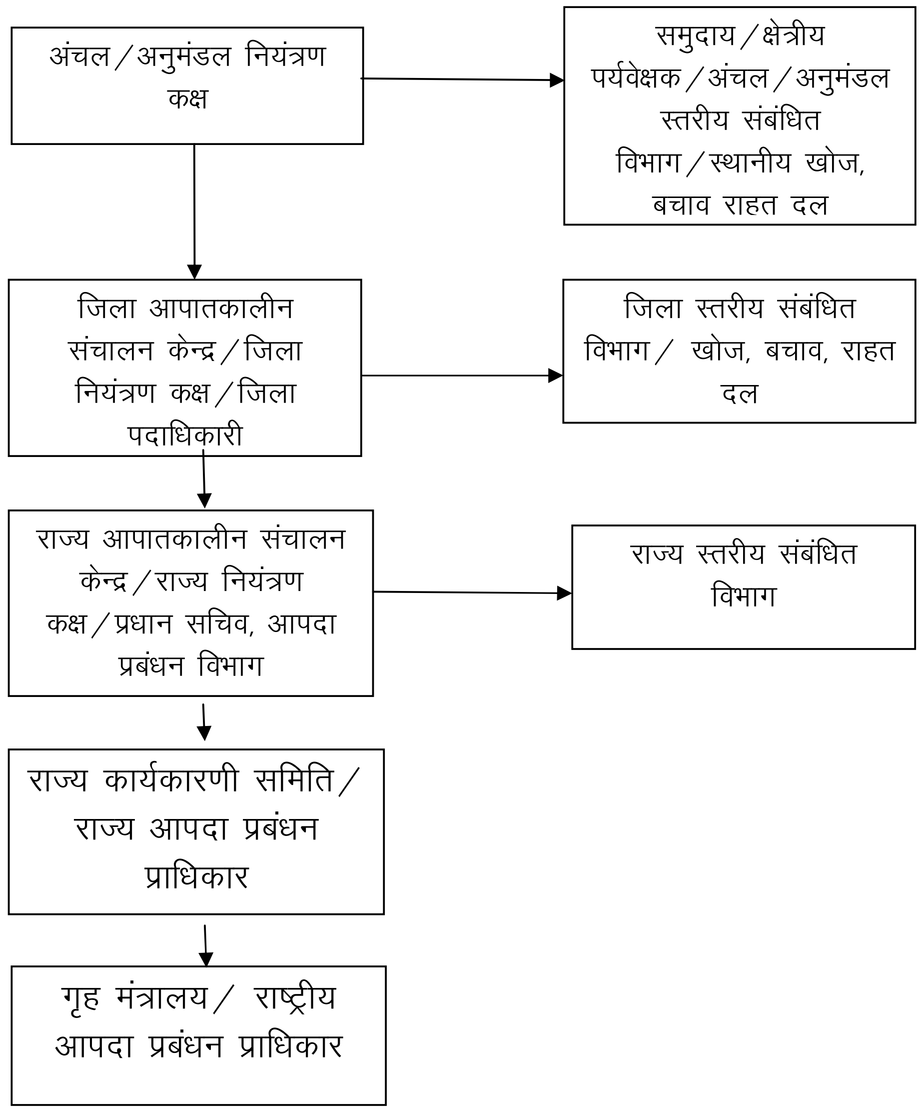

- जिला पदाधिकारी मॉनसून की वर्षा तथा बाढ़ के संबंध में निम्न बेबसाइट से भी सूचना प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए एन0आई0सी0 के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगीः
- **Meteorological Forecasting Division- Govt. of Nepal http://www.mfd.gov.np/**
- **Central Water Commission of India http://www.india-water.com/**
- **Water Resources Department, Govt. of Bihar http://wrd.bih.nic.in**
- **Indian Meterological Department http://www.imd.gov.in and www.mousam.gov.in**
- **Disaster Management Department, Govt. of Bihar http://disastermgmt.bih.nic.in/**

- **Ganga Flood Control Commission, Patna,Ministry of Water Resources, Govt. Of India http://gfcc.bih.nic.in/**
- **National Informatics Centre- Weather Resource System for India- <http://weather.nic.in/>**
- **Weather forecast for Nepal http://www.mfd.gov.np/**
- **Weather forecast for Bihar from Yahoo http://weather.yahoo.com/india/bihar/bihar-2274908/**
- **Flood Management Information System,Bihar http://www.fmis.bih.nic.in/**

2-14 *ukok /ykbQ tdV@ekVj ckV d ifjfu;ktu* **(Deployment)** *dh vkdfLed ;ktuk*

बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नावों की आवश्यकता पडती है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों के परिनियोजन की आकस्मिक योजना बना ली जाएगी। स्थितियों के अनुरूप इस योजना में बदलाव किया जा सकता है। पहले से आकस्मिक योजना रखने का लाभ यह होगा कि बाढ़ आते ही उस क्षेत्र में नावें तुरंत उपलब्ध करा दी जाएँ। ये नावें निजी/सरकारी अथवा दोनों हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त लाइफ जैकेटों एवं मोटर बोटों के परिनियोजन की भी आकस्मिक योजना तैयार रखी जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार आबादी निष्क्रमण एवं बचाव कार्यों में उनका परिनियोजन किया जा सके।

2-15 *ftyk ,o jkT; Lrjh; VkLd Qkl dk xBu*

जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े हुए सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स गठित कर लिया जाएगा। जिला टास्क फोर्स की बैठकों में केन्द्र सरकार के दूरसंचार विभाग के स्थानीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय जल आयोग के स्थानीय पदाधिकारी, यदि कोई हों, को भी आमंत्रित किया जाएगा। जिला टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पुलिस विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/मानव संसाधन विभाग/सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/उर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे। जिले में आपदा प्रबंधन कार्य के प्रभारी अपर समाहर्त्ता जिला टास्क फोर्स के संयोजक होंगे। इसी प्रकार राज्य टास्क फोर्स में कंडिका 1.3 पर अंकित विभागों एवं एजेन्सियों के सचिव/प्रधान सचिव /वरीयतम पदाधिकारी सदस्य होंगे तथा आपदा

प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव सदस्य–संयोजक रहेंगे। टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा एवं बाढ़ आने की दशा में राहत एवं बचाव के सम्पूर्ण कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।

2-16 *vkdfLed Qly ;kstuk dk l`=.k*

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाएगी। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराने एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

2-17 *lacaf/kr foHkkxksa }kjk vkdfLed ;kstuk dk l`=.k*

कंडिका 1.3 पर अंकित विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिला स्तर पर आकस्मिक योजना बना ली जाएगी ।

2-18 *leqnk; ,oa vU; lk>snkjksa ¼**Stakeholders**½ dk izf'k{k.k*

बाढ़ आपदा आने की स्थिति में समुदाय एवं पुलिस थाना पहला रिस्पांडर (Responder) होता है। अतएव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत, खोज एवं बचाव कार्यों में समुदाय एवं अन्य साझेदारों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाते रहेंगे। इन प्रशिक्षणों में देने एवं दिलाने में बिहार राज्य नागरिक परिषद् की ईकाइयों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

3 ck< d nkjku jkgr ,o cpko

बाढ़ आने की दशा में आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव की त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ आते ही अंचल से लेकर जिला तथा राज्य स्तर तक आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष एवं राहत तथा बचाव दल तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। बाढ़ के दौरान निम्न कारवाईयॉ अपेक्षित होंगी *¼pdfyLV vuyXud 8 ij lyXu½*।

3-1 *ck< io prkouh*

बाढ आने की सूचना राज्य एवं जिला स्तर पर प्रचार माध्यमों से आमजन तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में जन प्रतिनिधियों एवं समाजिक कार्यकर्त्ताओं की भी मदद ली जाएगी।

3-2 *ck< dh lpuk dk i"k.k*

जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना जिले में तैयार संचार योजना के अनुसार द्रुततम संचार माध्यमों से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। तटबंधों के टूटने की दशा में जिला पदाधिकारी स्वयं इसकी सूचना मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग को देंगे।

3-3 *iHkkfor {k=k e ukok dk ifjfu;ktu ¼***Deployment***½*

बाढ़ आने की सूचना प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी अथवा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी /अंचल अधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ की गंभीरता का आकलन किया जाएगा । यदि बाढ़ की स्थिति गंभीर है एवं आवागमन की समस्या उत्पन्न हुई हो तो प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना के अनुसार नावों का परिनियोजन (Deployment) किया जाएगा। इसके लिए संबंधित नाविकों/नाव मालिकों को परवाना दिया जाएगा। यदि ऐसे क्षेत्र में बाढ़ आयी हो जहां नावों के परिनियोजन की आकस्मिक योजना नहीं बनायी गयी हो तो तद्नुसार आकस्मिक योजना में परिवर्त्तन कर तत्काल वहां नावें उपलब्ध करायी जाएगी। परिचालित की जा रही नावों पर लाल झंड़ा लगा दिया जाएगा एवं यह अंकित करा दिया जाएगा कि यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है। साथ ही नावों पर लदान क्षमता अंकित रहेगी एवं लदान क्षमता के अनुरूप नावों पर एक वाटर लाईन पेंट से अंकित कर दी जाएगी ताकि लोगों को ज्ञात हो सके कि जब तक उक्त वाटर लाईन पानी की सतह से उपर है तब तक यात्रा निरापद है। चलायी जाने वाली नाव निश्चित स्थल/घाट से चलेगी। उक्त घाट/स्थान पर सूचनापट लगा रहना आवश्यक होगा जिसमें नाविक का नाम एवं परिचालन की अवधि अंकित रहेगी। समय–समय पर इस तथ्य की जांच होती रहेगी कि उपर्युक्त स्थलों पर नावों का परिचालन हो रहा है या नहीं। उस क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक की जबाबदेही होगी कि नावों का परिचालन होता रहे। नावों पर ओवर लोडिंग न हो इसके लिए नाविकों को सतर्क कर दिया जाएगा। ओवर लोडिंग रोकने हेतु एक स्थल/घाट

पर एक से अधिक नावों का परिनियोजन किया जा सकता है। आवश्यक होने पर नाव परिचालन स्थल/घाट पर ओवर लोडिंग रोकने हेतु स्थानीय चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थाना स्तर से की जाएगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाविकों को भाड़े का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों के संबंध में दिशा निर्देश विभागीय पत्रांक 12(प्र0) दिनांक 19.1. 2009 द्वारा निर्गत है। ¼vuqyXud 9 ij layXu½

3-4 {kfr dk Rofjr vkdyu

राहत कार्यों के संचालन एवं क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के पुनर्स्थापन के लिए यह आवश्यक होगा कि बाढ़ क्षति का प्रारम्भिक आकलन अविलम्ब कर लिया जाए। अतएव जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ क्षति के प्रारंभिक आकलन के लिए टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी रहेंगे जो स्थल निरीक्षण, हवाई सर्वेक्षण तथा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आलोक में क्षति का प्रारम्भिक आकलन करेंगे। क्षति का आकलन करते समय प्रभावित क्षेत्रों की तिथियुक्त फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करा ली जाएगी। क्षति के त्वरित आकलन के घटक निम्नांकित होंगेः–

- प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र
- प्रभावित जन समुदाय
- मृत/लापता व्यक्तियों की संख्या
- क्षतिग्रस्त मकान
- प्रभावित परिवारों के वस्त्र/बर्त्तन आदि की क्षति
- सड़कें, पुल पुलियों एवं सरकारी गोदामों आदि की क्षति
- जलापूर्त्ति योजनाओं, चापाकलों, विद्युत संरचनाओं/ लाइनों, दूरसंचार सेवाओं की क्षति
- अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति यथा स्कूल भवन/अस्पताल/पंचायत भवन/सरकारी भवन आदि की क्षति
- कृषि क्षति/फसल क्षति
- मवेशी क्षति

3-5 vkcknh dk fu"Øe.k

बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए यदि आबादी के निष्क्रमण की आवश्यकता हो तो मोटर बोट/नाव तथा राहत एवं बचाव दलों के माध्यम से आबादी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाल कर पूर्व चिन्हित शरण स्थलों/राहत शिविरों में ले जाया जाएगा। आबादी के निष्क्रमण के दौरान विकलांगों, वृद्धजनों, शिशुओं, गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राहत शिविरों में लाए जाने के उपरांत बाढ़ प्रभावितों को प्रथमतः सूखा राशन जैसे सत्तू, नमक,चूड़ा, गुड़ आदि तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही राहत शिविरों में रह रही आबादी को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राहत शिविरों में

पर्याप्त रोशनी, सफाई व्यवस्था पेय जल, शौचालय, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। राहत शिविरों में रह रही महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विशेष प्रबंध, जैसे, आयरन की गोलियां, सेनेटरी नैपकिन आदि का वितरण किया जाएगा। राहत केन्द्रों के संचालन के लिए विभागीय पत्रांक 2493/आ0प्र0, दिनांक 05.09.2008 पूर्व से संसूचित है ¼vu|yXud 16 ij n"V0;½। मेगा कैम्पों में उपलब्ध करायी जानेवाली अतिरिक्त सेवाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा।

3-6 jk"Vh; vkink fjLikl Qkl¼,u0Mh0vkj0,Q0½@jkT; vkink fjLikl Qkl ¼,l0Mh0vkj0,Q0½ dh ekx

आबादी के निष्क्रमण तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। अतएव बाढ़ की भीषणता के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य नियंत्रण कक्ष/आपदा प्रबंधन विभाग को एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 भेजने का अनुरोध करेंगे। जैसे ही यह आवश्यक हो, अनुरोध द्रुततम संचार माध्यम से किया जाएगा ताकि एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के परिनियोजन में समय न लगे। सूचना प्राप्त होते ही आपदा प्रबंधन विभाग इनकी सेवाएँ जिले को उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा। NDRF/SDRF के परिनियोजन हेतु विभाग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेगा।।

3-7 luk dh ekx

यदि बाढ़ पीड़ित आबादी के निष्क्रमण एवं राहत/बचाव के लिए सेना के मद्द की आवश्यकता हो तो जिला पदाधिकारी द्रुततम संचार माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग/राज्य नियंत्रण कक्ष को अपना अनुरोध भेजेंगे।

3-8 ,;jQkl d gyhdkIVj dh ekx

3-8-1 vf/k;kpuk dh ifd;k

आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी निकटतम सैन्य या वायुसेना के पदाधिकारी से सम्पर्क करके हेलीकॉप्टर की मांग करेंगे । तत्पश्चात् द्रुततम संचार माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग को अधियाचना भेजेंगे । अधियाचना प्राप्त होते ही गृह विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष को हेलीकॉप्टर भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

3-8-2 gyhdkIVjk@gokbl tgkt d }kjk dh tku okyh dkjokbl

1- gokbl lo{k.k

2- QM idV fxjkuk

3- [kkt ,o cpko

4- fu"Øe.k

3-8-3 Okk;q;ku dk idkj

(I) AN-32:- 5 टन का वजन उठाने की क्षमता है और इसमें ग्रेड 1 के 3 और ग्रेड II के 7 अफसर रहते हैं, जिनके आवासन की आवश्यकता होती है।

(II) MI-8 :- 4 टन का वजन उठाने की क्षमता है और इसमें ग्रेड I के 3 और ग्रेड II के 7 अफसर रहते हैं, जिनके आवासन की आवश्यकता होती है।

3-8-4 gyhdkIVj dk vkus ij fuEu 0;oLFkk,a dh tk,xh

(i) Parking area:- कम–से–कम दो या तीन हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा हो।

(ii) हेलीकॉप्टर के उतरने के समय जिला का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध रहना चाहिए।

(iii) जिले के प्रतिनिधि द्वारा कार्य के संबंध में Briefing किया जाएगा।

(iv) Local Sim Card को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(v) Contact persons की सूची तथा फोन नम्बर एवं मोबाईल नम्बर।

(vi) जहां हेलीकॉप्टर उतरना है वहां का Co-ordinates और प्रभावित क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध कराया जाए।

(vii) वितरण के सामग्री की तैयारी। फुड पैकेट में सूखा राशन यथा चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक, आदि इस प्रकार रखे जाऐंगे कि एक पैकेट का वजन 10 कि0ग्रा0 से अधिक न हो और पानी की बोतल बीच में रखी जाय।

(viii) Load करने वाली टीम तथा सामान ले जाने वाला वाहन तैयारी हालत में रहे।

3-9 gyhdkIVj ls QwM iSdsV fxjkus dh dkjZokbZ dk leUo;

राज्य सरकार हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने की कार्रवाई का समन्वय करेगी। आवश्यकतानुसार किसी जिले के जिला पदाधिकारी को फूड पैकेट आदि तैयार कराने तथा हेलीकॉप्टर के परिचालन के अनुश्रवण का दायित्व सौंपा जाएगा।

3-10 ck<+xzLr {ks=ksa esa jkgr 0;oLFkk

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकता का आकलन करके बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्रभावितों को आवश्यकतानुसार सूखा राशन जैसे सत्तू, नमक, गुड़/चूड़ा एवं किरासन तेल, मोमबत्ती आदि उपलब्ध कराया जाएगा। जिन व्यक्तियों के घर नष्ट हो गये हो उन्हें पॉलीथीन शीट उपलब्ध कराया जाएगा। अंचल अधिकारी की व्यक्तिगत जबाबदेही होगी कि उनके क्षेत्रों में राहत कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद

अनुदान हेतु विभागीय पत्रांक 2765 दिनांक 25.09.08 द्वारा निदेश निर्गत है ¼vuqyXud 11 ij layXu½।

3-11 ekuo LokLF; dh ns[kHkky

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल मेडिकल टीमों को भेजा जाएगा । परन्तु राहत शिविरों में अलग से मेडिकल कैम्प भी लगाया जाएगा जिसमें डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक दवाओं की व्यवस्था रहेगी। मोबाईल मेडिकल टीमों के साथ भी डाक्टर, नर्स एवं आवश्यक दवाओं का प्रबंध किया जाएगा। खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (Health & Hygiene) के विशेष प्रबंध, जैसे, आयरन की गोलियाँ, सेनेटरी नैपकिन आदि, किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैलोजन टेबलेट कुआँ/चापाकल आदि में डालने की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार सांप आदि काटने पर चिकित्सकों द्वारा प्रभावितों को अविलम्ब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। यह चिकित्सा सुविधा मोबाईल मेडिकल टीमों/प्राथमिक केन्द्रों/ उप केन्द्रों/मेडिकल कैम्पों द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। बाढ़ के दौरान अपने घरों से विस्थापित होने तथा जान–माल की क्षति के कारण संकटग्रस्त परिवारों की मनःस्थिति सामान्य नहीं रहती है। अतएव उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

3-12 i'kq pkjk dh O;oLFkk

यदि मवेशी पालको द्वारा पशुओं के लिए रखा गया चारा बाढ़ से नष्ट हो गया हो तो आवश्यकतानुसार पशुओं के लिए पशु शिविर का प्रबंध किया जाएगा। ऐसे शिविरों में (पूर्व में आपदा राहत कोष) राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मानदर के अनुसार पशुओं को चारा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत निर्धारित मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही विभागीय पत्रांक 2462 दिनांक 12.8.07 द्वारा संसूचित है ¼vuqyXud 10 ij layXu½। मानदर में समय–समय पर होने वाले संशोधनों की जानकारी विभागीय बेबसाइट पर देखी जा सकती है।

3-13 i'kq LokLF; dh ns[k&Hkky

बाढ़ के दौरान पशुओं को जल जनित रोग हो जाते है। अतएव उन्हें जल जनित रोगों से बचाने एवं उनके स्वास्थ्य की देख–भाल करने हेतु मोबाईल पशु चिकित्सा टीमें कार्यरत रहेगी जो गॉव/पंचायतों में घूम–घूम कर टीकाकरण एवं दवा आदि देने का कार्य करेंगी

3-14 xHkZorh ekrkvksa@/kk=h ekrkvksa dh ns[k&Hkky

बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं को कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतएव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत मोबाईल मेडिकल टीमों को इस कोटि के महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अतएव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोबाईल मेडिकल टीमों को इस कोटि के महिलाओं की सूची उपलब्ध करा देंगे ताकि गाँव/पंचायत स्तर पर अपने भ्रमण के दौरान मोबाईल मेडिकल टीमें उनके स्वास्थ्य

का विशेष ध्यान रख सकें। शरण स्थलों/राहत शिविरों में धातृ प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण एवं धातृ माता के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी। साथ ही नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण कर लिया जाएगा।

3-15 i; ty dh 0;oLFkk

विभिन्न शरण स्थलों जहां बाढ़ पीड़ित स्वयं शरण लेते हैं उन शरण स्थलों तथा राहत शिविरों में पीने के पानी तथा अस्थायी शौचालय तथा मोबाईल मेडिकल टीमों की व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यदि पीने के पानी का संकट हो तो वहाँ भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

3-16 vko';d lokvk dk Rofjr iuLFkkiu

3-16-1 vkokxeu dh 0;oLFkk@lEid iFkk dk iuLFkkiu

बाढ़ के दौरान सम्पर्क पथ क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन बाधित हो जाता है। जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से सम्पर्क पथों को चलायमान बना दिया जाए ताकि राहत कार्यों में बाधा न पड़े। इसके लिए आवश्यक निधि जिला पदाधिकारी/संबंधित विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

3-16-2 ck<xLr {k=k e fctyh ,o njlpkj 0;oLFkk dk iuLFkkiu

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत एवं दूरसंचार सुविधा प्रायः ठप पड़ जाती है। अतएव जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करके सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत एवं दूरसंचार व्यवस्था पुनर्स्थापित कर दी जाए।

3-17 rVca/kk d VVu dh n'kk e vko';d dkjokb;k

- जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के निरन्तर एवं सतत् सम्पर्क में रहते हुए किसी भी तटबंध में रिसाव/टूटान की अविलम्ब सूचना उन्हें तथा अपने विभाग को द्रुततम संचार माध्यम से देंगे। वे व्यक्तिगत रूप से भी जिला पदाधिकारी से मिल कर समय–समय पर तटबंधों की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।
- तटबंधों में रिसाव/टूटान की जानकारी प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों तथा प्रशासन एवं पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बिना देर किये स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा स्थिति के संबंध में अपना आकलन आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग को द्रुततम संचार माध्यमों से प्रेषित करेंगे।
- तटबंधों में किसी प्रकार के रिसाव/टूट की दशा में जल संसाधन विभाग के स्थानीय पदाधिकारी अपने विभागीय निदेशों के अनुरूप बिना देर किये रिसाव रोकने/टूटे तटबंध की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करेंगे। गंभीर टूटान के मामलों की सूचना उनके द्वारा द्रुततम संचार माध्यमों से यथानुसार आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग को दी जाएगी।

- तटबंधों के टूटान की कोई भी जानकारी मिलते ही जल संसाधन विभाग के मुख्यालय द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आवश्यक होने पर जल संसाधन विभाग को आपदा राहत कोष/राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से टूटान की मरम्मति के लिए राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
- तटबंध की मरम्मति के समय आवश्यकतानुसार अभियंताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी
- तटबंध की मरम्मति की देख–भाल जल संसाधन विभाग के वरीय अभियंताओं के अतिरिक्त जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी करेंगे।
- तटबंध के रिसाव/टूटान की दशा में उससे प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को पंचायत के मुखिया/चौकीदार आदि के माध्यम से सतर्क किया जाएगा ताकि जन–धन की हानि को रोका जा सके। टूटान के कारण जल जमाव से जो आबादी प्रभावित होने वाली होगी उसे बिना देर किये निरापद स्थलों पर सुरक्षित पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई मे आवश्यकतानुसार एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/स्थानीय पुलिस/स्थानीय प्रशिक्षित स्वयं सवेकों /नागरिक समूहों आदि की मदद ली जाएगी।
- टूटान के परिणाम स्वरूप जल प्लावित स्थानों से नावों/मोटर बोटों आदि के सहायता से आबादी को निष्कासित कर निरापद स्थान पर ले जाया जाएगा।
- टूटान तथा उसकी मरम्मति से संबंधित प्रगति की जानकारी जल संसाधन विभाग के अभियंता नियमित रूप से अपने विभाग तथा जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

3-18 *ftyk@jkT; Lrjh; VkLd QkslZ dh fu;fer cSBd*

बाढ़ आते ही जिला टास्क फोर्स की बैठक प्रतिदिन शाम को या जिला पदाधिकारी के सुविधानुसार किसी समय आयोजित की जाएगी जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा किये जा रहे बाढ़ से बचाव राहत आदि कार्यों की समीक्षा की जाएगी । साथ ही टास्क फोर्स में बचाव एवं राहत से संबंधित योजनाएँ बना कर उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य टास्क फोर्स की बैठकें भी मुख्य सचिव की सुविधानुसार की जाएंगी।

3-19 *ck<+ ls [kjkc gq, pkikdyksa dh ejEefr*

बाढ़ के दौरान चापाकलों की हुई क्षति का आकलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा जो स्थिति के अनुसार चापाकलों की मरम्मति विशेष टीमें बना कर कराते रहेंगे ताकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल का संकट उत्पन्न न हो। साथ ही हेलोजन टैबलेट चापाकल एवं कूओं में डाले जाऐंगे ताकि लोग दूषित पेय जल का शिकार न हों।

3-20 *e`rdksa ds 'koksa dk fuiVku*

बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों के शवों के निपटान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अतएव जिला पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों की पहचान कर उनके शवों को संबंधित व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। यदि मृतकों की पहचान न हो रही हो तो पुलिस के द्वारा उनका फोटो रखा जाएगा तथा प्रसार माध्यमों से जन साधारण को शव पहचान करने की

सूचना दी जाएगी। यदि शवों की पहचान तब भी न हो तो उनका निपटान किसी जिम्मेदार कर्मी की देख–रेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए किया जाएगा।

3-21 *i'k 'kok dk fuiVku*

बाढ़ के कारण मृत पशुओं के शवों, जिनके मालिकों की पहचान न हो सकी हो, के निपटान का दायित्व पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तर के पदाधिकारियों का होगा। ऐसे पशुओं के शवों के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा। बाढ़ में मृत पशुओं एवं उनके मालिकों की सूची उक्त विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बना ली जाएगी ताकि मृत पशुओं के प्रतिस्थापन हेतु साहाय्य वितरण में सुविधा हो सके।

3-22 *e`rdk d vkfJrk dk vuxg vunku dk Hkxrku*

बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्धारित मानदर के अनुसार बिना देर किये अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मृत्यु बाढ़ के कारण ही हुई है, इससे संबंधित प्रमाण–पत्र केस रेकर्ड में अंकित कर दिया जाएगा। एतद् संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्सा पदाधिकारी सक्षम होंगे। यदि राशि उपलब्ध नहीं हो तो द्रुततम संचार माध्यमों से राशि आपदा प्रबंधन विभाग से मांग ली जाएगी। परन्तु किसी भी परिस्थिति में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान में अवांछित विलम्ब न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। बाढ़ के दौरान मृतकों के आश्रितों को अनुदान संबंधी मानदर *vuyXud 11* पर संलग्न है। जहां तक बाढ़ में मृत व्यक्तियों के शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता एवं भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में विभागीय निदेश पत्रांक 70 दिनांक 12.1.09 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह पत्र *vuyXud 12 ij layXu gA* यदि अनुग्रह अनुदान भुगतान के संबंध में देर होती है तो देरी के कारणों को केस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

3-23 *jkgr ,o cpko dk;k e LFkkuh; lenk;k ,o ukxfjd lxBuk dh Hkkxhnkjh*

राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय समुदायों एवं नागरिक संगठनों को सहायता करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

3-24 *xj ljdkjh lLFkkuk@vrjk"Vh; ,tfUl;k@vU; jkT; ljdkjk@dkjiksjV lDVj@0;fDr;k }kjk jkgr dk;k e lg;kx*

बाढ़ आपदा के समय गैर सरकारी संस्थाओं/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सेक्टर एवं व्यक्तियों द्वारा राहत कार्यों में स्वेच्छा से सहयोग किया जाता है। उनके द्वारा किये जानेवाले सहयोग के लिए मार्गदर्शन निम्नानुसार होगा–

- नकद राशि मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष में जमा करायी जाएगी।
- राहत सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किये जाएंगे जिनके मार्गदर्शन एवं समन्वयन में इनका वितरण बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा।

- सीधे जिला स्तर पर प्राप्त होनेवाली सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। परंतु जिला स्तर पर प्राप्त सामग्रियों की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी को देते हुए वितरण हेतु उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाएगा।
- उपरोक्तानुसार प्राप्त सामग्रियों का वितरण पंचायत/वार्ड स्तरीय राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देखरेख में यथा संभव संबंधित एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। यदि एजेन्सी का प्रतिनिधि उपलब्ध न हो तो वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से होगा।

3-25 *l puk ,o fefM;k dk ic/ku*

बाढ़ आने की दशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आम जन को सतर्क करने तथा बचाव एवं राहत की जानकारी आम जन तक पहुंचाने तथा आवश्यक सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए रेडियो, टी0वी0 एवं प्रिंट मिडिया जैसे संचार माध्यमों का पूरा उपयोग किया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन निर्धारित समय एवं स्थान पर मिडिया को बुला कर राहत एवं बचाव एवं बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी दी जाएगी। यदि जिला पदाधिकारी अन्यत्र व्यस्त होंगे तो उनके द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी मिडिया को उपरोक्तानुसार सूचना देंगे। इसी प्रकार राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग/ राज्य नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से बाढ़ राहत, बचाव तथा बाढ़ की स्थिति के संबंध में मिडिया को सूचना दी जाएगी। साथ ही अफवाहों का खंडन किया जाएगा ताकि अनावश्यक अफरा–तफरी न मचे एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके।

3-26 *tu f'kdk;rk dk fuiVku*

बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव के संबंध में प्राप्त होनेवाली शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर यथा अंचल/अनुमंडल/जिला/राज्य पर कार्यरत नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन संचालन केन्द्रों में पंजी संधारित की जाएगी जिसमें प्राप्त शिकायतों तथा इसपर की गई कार्रवाई का विवरण अंकित रहेगा।

3-27 *ehfM;k e i dkf'kr@i lkfjr fjikV ij dkjokb*

बाढ़ आपदा के दौरान प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाशित/प्रसारित होती हैं। इन खबरों के माध्यम से बाढ़ की स्थिति तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अतएव बाढ़ आपदा के संबंध में प्रकाशित/प्रसारित खबरों का सघन अनुश्रवण किया जाएगा तथा उनका सत्यापन करने के पश्चात त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाएगा। वे इन खबरों पर की जानेवाली कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध करते रहेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी जिला पदाधिकारी को देंगे। इसी प्रकार राज्य नियंत्रण कक्ष के द्वारा प्रकाशित/प्रसारित

खबरों का अनुश्रवण किया जाएगा तथा संबंधित एजेन्सियों/विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिला/राज्य नियंत्रण कक्ष में पंजी संधारित की जाएगी। इन पंजियों में प्रकाशित/प्रसारित खबरों का सार तथा उनपर की गई कार्रवाई अंकित की जाएगी।

3-28 *ck< d le; nfud@lkIrkfgd ifronu dk i"k.k*

जिला स्तर से बाढ़ की पूर्ण जानकारी नियमित रूप से राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। यह जानकारी बाढ़ के दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन के रूप में दी जाएगी जिसका विहित प्रपत्र *vuyXud 13¼d½ ,o 13¼[k½ij lyXu* हैं।

3-29 *jk"Vh; vkink fjLikl dk"k l jkf'k ikIr dju grq eekjUMe dk l=.k*

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला एवं सभी विभागों से क्षति का आकलन प्राप्त कर राहत एवं आधारभूत संरचनाओं के त्वरित पुनर्स्थापन हेतु राष्ट्रीय रिस्पौंस कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरेन्डम तैयार किया जाएगा। साथ ही यदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण के समन्वय का कार्य विभाग एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मेमोरेन्डम के लिए आवश्यक सूचनाएँ सभी विभाग एवं जिला पदाधिकारी त्वरित माध्यमों से आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3-30 *ftyk] i[kM @uxj ,o ipk;r Lrjh; ck< jkgr vuJo.k&lg&fuxjkuh lfefr;k dh cBd*

बाढ पूर्व तैयारियों की समीक्षा तथा बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के अनुश्रवण के लिए समय–समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के माध्यम से राहत कार्यों की पारदर्शिता बनाने तथा राहत कार्यों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत/वार्ड स्तर पर अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में विभागीय निदेश पत्रांक 1388 दिनांक 24.7.04, पत्रांक 1004 दिनांक 8.7.05 एवं पत्रांक 3883 दिनांक 11.12.07 क्रमशः *vuyXud 14¼d½ 14¼[k½ ,o 14¼x½ d :i e lyXu gA*

4 ck< ds i'pkr~ dh tkus okyh dkjZokb;k¡

जहां बाढ़ के दौरान त्वरित रिस्पौंस एवं राहत की आवश्यकता पड़ती है, वहीं बाढ़ के पश्चात् दीर्घकालीन साहाय्य, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतएव बाढ़ के पश्चात् निम्न कार्रवाईयॉ अपेक्षित होगी ¼psdfyLV vuqyXud 15 ij layXu½।

4-1 jkgr forj.k

4-1-1 eq¶r [kk|kUu ¼**Gratutious Relief)** dk forj.k

बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान कर दिया जाना है। संभव है कि अगले माहों के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण की आवश्यकता हो। ऐसी आवश्यकता होने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकार की सहमति से अगले माहों के लिए खाद्यान्न वितरण आदि का निर्णय संसूचित किया जाएगा।

4-1-2 i.k {kfr dk vkdyu

- साहाय्य वितरण के लिए आवश्यक होगा कि गृह क्षति, भूमि क्षति (भूमि पर बालू का जमाव), पशु क्षति, बर्त्तन एवं वस्त्रादि की क्षति, फसल क्षति, मछुआरों के नाव–जाल आदि की क्षति तथा हस्त शिल्प/हस्त करघा क्षेत्र के शिल्पियों के क्षतिग्रस्त उपकरणों आदि का विस्तृत आकलन किया जाएगा। क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की जाएगी तथा सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करा ली जाएगी। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना भी आवश्यक होगा।
- भूमि एवं फसल क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग के जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को सुपरिभाषित जबाबदेही दी जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जमीन की मापी तथा जमीन पर स्वामित्व आदि के प्रश्नों को स्थापित कानूनों के अनुसार बिना देर किये हल कर दिया जाए। उदाहरण के लिए संभावना हो सकती है कि किसी फसल क्षति वाली जमीन का मालिकाना संयुक्त स्वामित्व में हो तो अलग–अलग दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। ऐसे में भूमि क्षति फसल क्षति का अनुदान भुगतान करने हेतु दाखिल खारिज की अनिवार्यता नहीं रहेगी तथा स्थानीय जांच के पश्चात् राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देख–देख में भूमि/फसल क्षति हेतु आवश्यक अनुदान संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फसल क्षति हेतु अनुदान रबी की फसल की बुआई के पहले भुगतान कर दिया जाएगा ताकि जिन किसानों की फसल बाढ़ से बर्बाद हो गयी है उन्हें रबी की फसल उगाने हेतु सहायता मिल सके।
- पारदर्शिता बनाये रखने के लिए क्षति के आकलन के समय यथानुसार पंचायत/वार्ड अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का सहयोग एवं परामर्श प्राप्त कर लिया जाएगा। vuqyXud 12¼d½ 12¼[k½ ,oa 12¼x½

4-1-3 jkgr forj.k

क्षति का आकलन करने के तुरंत बाद प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड/ पंचायत स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन वरीय पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

4-1-4 fdlku ØsfMV dkMZ /kkjdksa dks _.k dk forj.k

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रबी की बुआयी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए । इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना ली जाएगी।

4-1-5 Qly chek ls vkPNkfnr Qlyksa ds fy, chek ykHk Hkqxrku

यदि क्षतिग्रस्त फसले फसल बीमा से आच्छादित हों तो सहकारिता विभाग द्वारा यथाशीघ्र फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

4-1-6 ckn~ jkgr dSEi@esxk dSEiksa esa jkgr dh O;oLFkk

बाढ के उपरांत भी बाढ़ राहत कैम्प/मेगा कैम्प चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। बाढ़ राहत कैम्प/मेगा कैम्प में राहत की व्यवस्था करने के संबंध में विभागीय निदेश पत्रांक 2493/आ0प्र0 दिनांक 5.9.08 द्वारा संसूचित है। यह पत्र vuqyXud 16 ij layXu है। इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4-2 vk/kkjHkwr lajpukvksa dh {kfr dk vkdyu

बाढ़ के दौरान सड़क,पुल– पुलियों,विद्युत संरचण लाईन, दूरसंचार माध्यमों, सरकारी भवनों,अस्पतालों/दवाओं, जलापूर्त्ति योजनाओं, चापाकलों, वन–सम्पदा, आदि, की क्षति का आकलन संबंधित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी क्षति आकलन का समन्वय करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेंगे। क्षति के आकलन के उपरान्त उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजे जाएगें।

4-2-1 {kfrxzLr vk/kkjHkwr lajpukvksa dk iquLFkkiu@iqufuZek.k

संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर कार्रवाई करेंगे। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन कर दिया जाए , तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। पुनर्निर्माण कार्य ''Build back better than before'' के सिद्धान्त पर कराया जाएगा अर्थात् पुनर्निर्माण के पश्चात् निर्मित संरचना पूर्व से बेहतर तथा आपदारोधी हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

4-3 <u>*egkekjh dh jksdFkke*</u>

बाढ के पश्चात् बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

4-4 <u>*ty teko okys {ks=ks ls ty fudklh dh 0;oLFkk*</u>

बाढ़ के कारण जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत की जाएगी। इस कार्य हेतु जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

4-5 <u>*ck< dk vfre ifronu dk is"k.k*</u>

जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ का अंतिम प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में 31 दिसम्बर तक आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया जाएगा। किसी भी हालत में अंतिम प्रतिवेदन भेजने मे देरी नहीं की जाएगी।

4-6 <u>*jkgr dk;ksZ esa 0;; jkf'k dk mi;ksfxrk izek.k&i=*</u>

राहत कार्यों के लिए निधि का आवंटन राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से किया जाता है। अतएव आपदा राहत में जो भी निधि व्यय की जाती है उस निधि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत विहित प्रक्रिया अपना कर व्यय की गयी राशि को डेबिट करना पड़ता है। अतएव राहत कार्यों में खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र भेजने की व्यवस्था जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी ताकि उक्त कोष में राशि डेबिट होती रहे। इसके लिए पूरी राशि व्यय होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी अपितु जितनी राशि व्यय हो चुकी हो उतनी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाएगा।

4-7 <u>*dr dkjokb;ksa dk vUrfuZjh{k.k* ¼**Introspection**½ *,oa Hkfo"; ds fy, lh[k* ¼**Lessons learnt**½</u>

बाढ़ समाप्ति के पश्चात जिला एवं राज्य टास्कफोर्स की बैठकों में बाढ़ के दौरान विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के द्वारा कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) करते हुए भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt) ग्रहण की जाएगी। इन बैठकों में संबंधित विभाग/एजेन्सियाँ ईमानदारी पूर्वक आत्म चिंतन करते हुए कृत कार्रवाइयों से सबल एवं दुर्बल पक्षों का गहन विश्लेषण करेंगी, जिनसे भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके। इस प्रकार इन सीखों का उपयोग करते हुए आगामी वर्षों में बाढ़ आपदा प्रबंधन के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

5- ck<xLr {k=k dk iufuek.k

5-1 संबंधित विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं, आदि, के ''Built Back Better Than Before'' सिद्धांत के अनुसार पुनर्निर्माण हेतु परियोजना तैयार करेंगे तथा सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के आलोक में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

5-2 dVko ihfMrk dk iuokl&

बाढ के दौरान कटाव के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास की त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी एवं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में पुनर्वासित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करेंगे।

****

अनुलग्नक– 4 (कंडिका 2)

ck< io r;kfj;k dk pdfyLV

Ø0	dh tkuokyh dkjokb	gk	ugh
1.	वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति		
2.	वर्षापात आंकड़ों का प्रेषण		
3.	बाढ़ से प्रभावित होनेवाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान एवं नजरी नक्शा तैयार करना		
4.	संसाधन मानचित्रण		
5.	अंचल क्षेत्र में उपलब्ध निजी नावें		
6.	पुराने सरकारी नावों की मरम्मति		
7.	नई सरकारी नावों का निर्माण		
8.	जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/टेन्ट/महाजाल आदि की उपलब्धता		
9.	राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता		
10.	सत्तू/नमक/चूड़ा/गुड़/मोमबत्ती/दियासलाई/किरासन तेल आदि की उपलब्धता का आकलन, दर निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाएँ		
11.	पॉलीथीन शीटों का क्रय		
12.	मानव दवा की उपलब्धता		
13.	पशु दवा की उपलब्धता		
14	पशु चारे की उपलब्धता		
15.	खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हिकरण		
16	नाविकों/नावों के लंबित मजदूरी/भाड़े का भुगतान		
17.	खोज, बचाव एवं राहत दलों का गठन		

18.	शरण स्थलों की पहचान		
19.	क्षेत्रीय पर्यवक्षकों की प्रतिनियुक्ति		
20.	तटबंधों की सुरक्षा		
21.	सड़कों की मरम्मत		
22.	नोडल पदाधिकारी का नॉमिनेशन		
23.	आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष को कार्यरत करना		
24.	संचार योजना (Communication Plan)		
25.	नावों/लाइफ जैकेट/मोटर बोट के परिनियोजन (Deployment) की आकस्मिक योजना		
26.	जिला एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन		
27.	आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण		
28.	संबंधित विभागों द्वारा आकस्मिक योजना का सूत्रण		

अनुलग्नक– 8 (कंडिका 3)

ck< d nkjku jkgr ,o cpko dk;k dk pdfyLV

Ø0	dh tkuokyh dkjokb	gk	ugh
1.	बाढ़ पूर्व चेतावनी		
2.	बाढ़ की सूचना का प्रेषण		
3.	प्रभावित क्षेत्र में नावों का परिनियोजन (Deployment)		
4.	क्षति का त्वरित आकलन		
5.	आबादी का निष्क्रमण		
6.	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स (एन0डी0आर0एफ0)/राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की मांग		
7.	सेना की मांग		
8.	एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मांग		
9.	हेलीकॉप्टर के आने पर की जानेवाली व्यवस्थाएँ		
10.	हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराने की कार्रवाई का समन्वय		
11.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत व्यवस्था		
12.	मानव स्वास्थ्य की देखभाल		
13.	पशु चारे की व्यवस्था		
14.	पशु स्वास्थ्य की देखभाल		
15.	गर्भवती माताओं/धातृ माताओं की देखभाल		

16.	पेय जल की व्यवस्था		
17.	आवागमन की व्यवस्था/संपर्क पथों का पुनर्स्थापन		
18.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बिजली एवं दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन		
19.	तटबंधों की टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाइयाँ		
20.	जिला/राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक		
21.	बाढ़ से खराब हुए चापाकलों की मरम्मति		
22.	मृतकों के शवों का निपटान		
23.	पशु शवों का निपटान		
24.	मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान		
25.	राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय समुदाय एवं नागरिक संगठनों की भागीदारी		
26.	गैर सरकारी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सेक्टर/व्यक्तियों द्वारा राहत कार्यों में सहयोग		
27.	सूचना एवं मीडिया का प्रबंधन		
28.	जन शिकायतों का निपटान		
29.	मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई		
30.	बाढ़ के समय दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण		
31.	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से राशि प्राप्त करने हेतु मेमोरेण्डम का सूत्रण		
32.	जिला, प्रखंड/नगर एवं पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समितियों की बैठकें		

अनुलग्नक– 15 (कंडिका 4)

ck< d i'pkr dh tku okyh dkjokb;k dk pdfyLV

Ø0	dh tkuokyh dkjokbl	gk	ugh
1.	राहत वितरण		
2.	मुफ्त खाद्यान्न का वितरण		
3.	पूर्ण क्षति का आकलन		
4.	राहत वितरण		
5.	किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण		
6.	फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान		
7.	बाढ़ राहत कैम्प/मेगा कैम्पों में राहत की व्यवस्था		
8.	आधारभूत संरचनाओं की क्षति का आकलन		
9.	क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण		
10.	महामारी की रोकथाम		
11.	जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था		
12.	बाढ़ के अंतिम प्रतिवेदन का प्रेषण		
13.	राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र		
14.	कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lesson learnt)		

बिहार राज्य में बाढ़ प्रवणता

28 बाढ़ प्रवण जिलों के नामः–

1. सुपौल	15. बक्सर
2. सारण	16. दरभंगा
3. नालन्दा	17. समस्तीपुर
4. वैशाली	18. कटिहार
5. पूर्णियाँ	19. सहरसा
6. शिवहर	20. मुजफ्फरपुर
7. सीतामढ़ी	21. भागलपुर
8. खगड़िया	22. अररिया
9. मधुबनी	23. मधेपुरा
10. पश्चिम चम्पारण	24. शेखपुरा
11. पूर्वी चम्पारण	25. किशनगंज
12. पटना	26. भोजपुर
13. सिवान	27. लखीसराय
14. गोपालगंज	28. बेगुसराय

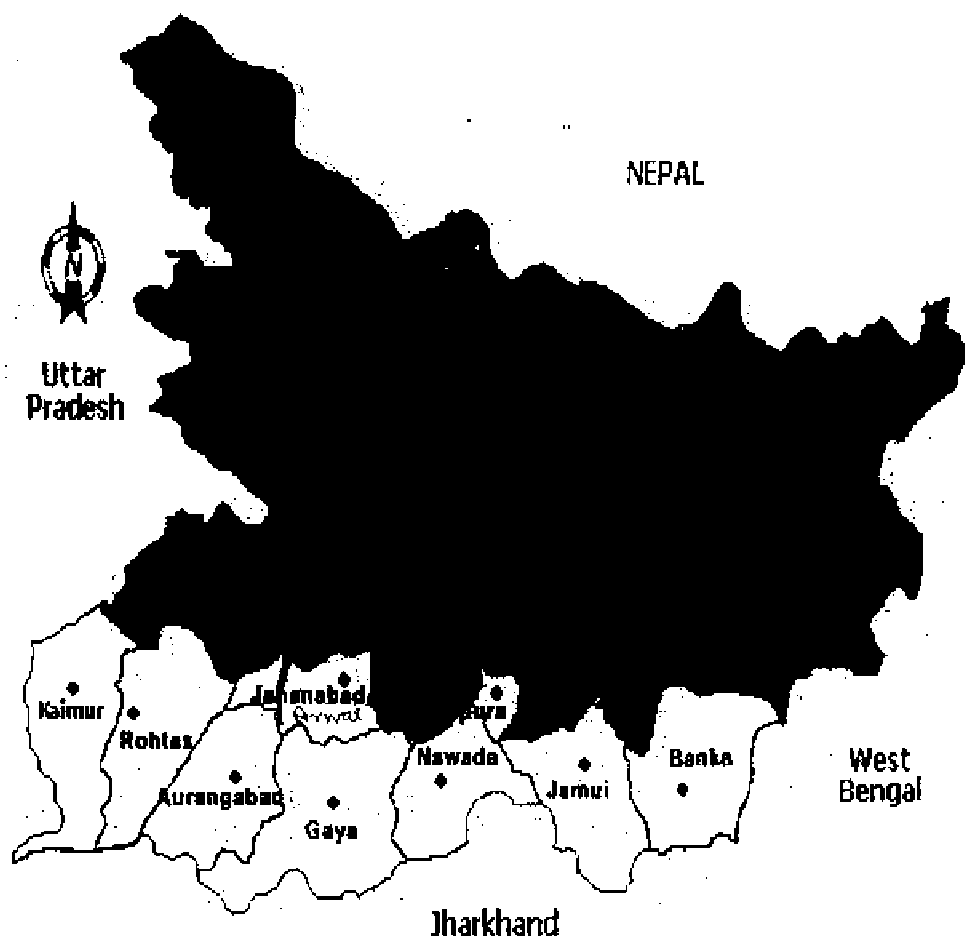

अनुलग्नक– 02 (द्रष्टव्य पृष्ठ संख्या 2)
बिहार राज्य में अति बाढ़ प्रवण जिलों की सूची

अनु-02

15 अति बाढ़ प्रवण जिलों के नामः–

1. सुपौल
2. मधेपुरा
3. शिवहर
4. सहरसा
5. खगड़िया
6. सीतामढ़ी
7. दरभंगा
8. मुजफ्फरपुर
9. मधुबनी
10. समस्तीपुर
11. वैशाली
12. कटिहार
13. पूर्वी चम्पारण
14. बेगुसराय
15. भागलपुर

अनुलग्नक– 03 (द्रष्टव्य कंडिका 1.4)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के गठन की अधिसूचना

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या: 1प्र0आ0-15/2008...1502.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 13/6/08

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए **"जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण"** (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i)	जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्ता	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष जिला परिषद	-	सह-अध्यक्ष
(iii)	पुलिस अधीक्षक	-	पदेन सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	पदेन सदस्य
(v)	उप विकास आयुक्त	-	पदेन सदस्य
(vi)	अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	-	पदेन सदस्य
(vii)	जिला के वरीयतम अभियंता	-	पदेन सदस्य

(2) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।

(3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- ..../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-....................

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को, सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

HCI/C/2008-09 Draft Notification (08.01.09).ll

ज्ञापांक- 1507 /पटना, पटना-15, दिनांक- 12/6/09

प्रतिलिपि: सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार [illegible])
सरकार के उप सचिव
12/6/09

अनुलग्नक - 4 (कंडिका 2)

बाढ़ पूर्व तैयारियों का चेकलिस्ट

क्र0	की जानेवाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1.	वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति		
2.	वर्षापात आंकड़ों का प्रेषण		
3.	बाढ़ से प्रभावित होनेवाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान एवं नजरी नक्शा तैयार करना		
4.	संसाधन मानचित्रण		
5.	अंचल क्षेत्र में उपलब्ध निजी नावें		
6.	पुराने सरकारी नावों की मरम्मति		
7.	नई सरकारी नावों का निर्माण		
8.	जेनरेटर सेट / पेट्रोमेक्स / टेन्ट / महाजाल आदि की उपलब्धता		
9.	राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता		
10.	सत्तू / नमक / चूड़ा / गुड़ / मोमबत्ती / दियासलाई / किरासन तेल आदि की उपलब्धता का आकलन, दर निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाएँ		
11.	पॉलीथीन शीटों का क्रय		
12.	मानव दवा की उपलब्धता		
13.	पशु दवा की उपलब्धता		
14	पशु चारे की उपलब्धता		
15.	खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हिकरण		
16	नाविकों / नावों के लंबित मजदूरी / भाडे का भुगतान		
17.	खोज, बचाव एवं राहत दलों का गठन		
18.	शरण स्थलों की पहचान		
19.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति		

20.	तटबंधों की सुरक्षा	
21.	सड़कों की मरम्मत	
22.	नोडल पदाधिकारी का नॉमिनेशन	
23.	आपातकालीन संचालन केन्द्र / नियंत्रण कक्ष को कार्यरत करना	
24.	संचार योजना (Communication Plan)	
25.	नावों / लाइफ जैकेट / मोटर बोट के परिनियोजन (Deployment) की आकस्मिक योजना	
26.	जिला एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन	
27.	आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण	
28.	संबंधित विभागों द्वारा आकस्मिक योजना का सूत्रण	

अनुलग्नक– 05 (क) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4a)

(क) साहाय्य कार्यों में लगे दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण संबंधी पत्र

पत्रांक–Iप्रा0आ0–19 / 2007.......... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/11/2009

विषयः साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर का निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2020 दिनांक 22.07.2009 द्वारा साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के लिए मजदूरी की दर 129 (एक सौ उनतीस) रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी। परन्तु श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू किये जाने के फलस्वरूप श्रम विभागीय अधिसूचना संख्या 3521 दिनांक 29.09.09 के अनुसार प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 132.00 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। अतएव निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.10.2009 के प्रभाव से साहाय्य कार्य में लगे नाविकों की दैनिक मजदूरी रू० 132.00 (एक सौ बत्तीस रूपया) होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी देय होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3438 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–17/11/2009

प्रतिलिपिः संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3542 दिनांक 30.09.2009 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3438 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–17/11/2009

प्रतिलिपिः मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

H:\From April 2009-10\Pra aa\Draft\Relief Work (Navik Majduri Nirdharan).doc

अनुलग्नक– 05 (ख) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4a)

बाढ़ राहत हेतु निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण के संबंध में पत्र

पत्रांक–1प्र0आ0–51/2007......................./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
(बिहार)

Fax

पटना–15, दिनांक–

विषय:- **बाढ़ राहत हेतु निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभिन्न बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा बाढ़ के समय में निजी नावों की आवश्यकता एवं उसके भाड़ा के निर्धारण के समय में निदेश की मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक–920 दिनांक–23.06.95 (प्रतिसंलग्न) की कंडिका–3.3 द्वारा निदेश निर्गत किये गये थे।

इस संबंध में निदेशित करना है कि प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपने स्तर से कर प्रत्येक जिलों में गैर सरकारी (निजी) नावों (बड़ी एवं छोटी) के निर्धारित संख्या में रखने की अनुमति प्रदान करेंगे तथा नावों (बड़ी एवं छोटी) के दर का निर्धारण अपने प्रमंडल के सभी जिलों के लिये समान रूप से करेंगे।

जहाँ तक निजी नाव के नाविकों की मजदूरी निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में आवश्यक निदेश श्रमसंसाधन विभाग से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है जिसे प्राप्ति के उपरांत शीघ्र संसूचित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

Fax

ज्ञापांक:...........2272........../आ0प्र0 दिनांक–26-7-07

प्रतिलिपि: सभी जिला पदा0 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

अनुलग्नक– 06 (द्रष्टव्य कंडिका 2.4d)

बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा के संबंध में पत्र

पत्र संख्या–1प्रा0आ0–96/03 1506 /आ0प्र0।

बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग ।

प्रेषक,

आलोक कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त (बाढ़ प्रवण प्रमंडल)
सभी जिला पदाधिकारी, (बाढ़ प्रवण जिला)
बिहार ।

पटना–15, दिनांक 1/8/05

विषय :- वर्ष 2005 की संभावित बाढ़ राहत सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संभावित बाढ़ 2005 से निपटने हेतु आवश्यक राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निविदा की प्रक्रिया अपना कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता/दर के निर्धारण हेतु पूर्व में विभिन्न पत्रों द्वारा निदेशित किया गया है ।

2. इधर हाल में कई जिलों से प्राप्त सूचना एवं दिनांक 20.7.05 को अपर समाहर्त्ताओं के बाढ़ सहाय्य की तैयारी के संबंध में हुई राज्य स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह तथ्य उभर कर आया कि कई जिलों में बार-बार निविदा निकाले जाने के बावजूद भी किसी आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा निविदा नहीं दी गई है । किसी-किसी जिले में एक या दो निविदादाता द्वारा ही निविदा दी गई है जिसमें निविदा की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में बाढ़ सहाय्य हेतु राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है ।

3. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बाढ़ सहाय्य कार्य की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए सहाय्य कार्य हेतु आवश्यक राहत सामग्रियों एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है ।

(कृ0पृ0उ0——"2"

(द्र अनुलग्नक– 07 (क) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4g)

पॉलिथीन शीटस के क्रय के संबंध में पत्र -

पत्रांक 1495 /आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, दरभंगा, पटना, भागलपुर, प० चम्पारण, कटिहार, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, नालन्दा, खगड़िया, गोपालगंज, मधेपुरा, अररीया, बेगूसराय, वैशाली, सिवान एवं पूर्णियां।

पटना-15, दिनांक 13/6/08

विषयः पॉलीथीन शीट्स क्रय के संबंध में।

महाशय,

पॉलीथीन के क्रय के सम्बंध में कतिपय जिलों से डी०जी०एस० एंड डी० में निबंधित सप्लायर की सूची की मांग की गई है। यह सूची डी०जी०एस० एंड डी० से उपलब्ध करायी गयी है और संलग्न है। डी०जी०एस० एंड डी० ने जो Rate contract दिया है उसकी सूचना भी संलग्न है। यह सुनिश्चित रहे कि क्रय डी०जी०एस० एंड डी० रेट कन्ट्रैक्ट या उससे कम पर हो।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक– 07 (ख) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4g)

पॉलिथीन शीटस के कय के संबंध में पत्र

पत्रांक–I प्रा०आ०–13/08...910 (40)........./आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर आयुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/ नालन्दा/ भोजपुर/ बक्सर/ सारण/
सिवान/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ सीतामढ़ी/
शिवहर/ पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/
वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/सहरसा/
सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/अररिया/ किशनगंज/
कटिहार/ मुंगेर/ लक्खीसराय/ खगड़िया/
बेगुसराय/ भागलपुर।

पटना–15, दिनांक– 25/6/09

विषयः पॉलीथीन शीट्स का क्रय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पॉलीथीन शीट्स क्रय हेतु विभागीय पत्रांक 1495 दिनांक 13.06.08 द्वारा गत वर्ष डी॰जी॰एस॰एण्ड॰डी॰ से निबंधित फर्म/ सप्लायर की सूची भेजी गई है। इस वर्ष भी डी॰जी॰एस॰एण्ड॰डी॰ से निबंधित फर्म/सप्लायर की सूची की मांग विभाग द्वारा की गई है जो http://dgsnd.gov.in पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार पॉलीथीन शीट्स का क्रय निविदा कर की जा सकती है– परंतु क्रय हेतु अधिकतम दर DGS&D के निर्धारित दर से अधिक नहीं होगा। गुणवत्ता भी DGS&D के मानकों के अनुरूप होगा।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

\\mukul\pand (H)\From April 2009-10\Prabhat\Draft\polythene sheets 18 06 09.doc

अनुलग्नक– 8 (कंडिका 3)

बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों का चेक लिस्ट

क्र0	की जानेवाली कार्रवाई	[illegible]	नहीं
1.	बाढ़ पूर्व चेतावनी		
2.	बाढ़ की सूचना का प्रेषण		
3.	प्रभावित क्षेत्र में नावों का परिनियोजन (Deployment)		
4.	क्षति का त्वरित आकलन		
5.	आबादी का निष्क्रमण		
6.	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स (एन0डी0आर0एफ0)/राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की मांग		
7.	सेना की मांग		
8.	एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मांग		
9.	हेलीकॉप्टर के आने पर की जानेवाली व्यवस्थाएँ		
10.	हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराने की कार्रवाई का समन्वय		
11.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत व्यवस्था		
12.	मानव स्वास्थ्य की देखभाल		
13.	पशु चारे की व्यवस्था		
14.	पशु स्वास्थ्य की देखभाल		
15.	गर्भवती माताओं/धातृ माताओं की देखभाल		
16.	पेय जल की व्यवस्था		
17.	आवागमन की व्यवस्था/संपर्क पथों का पुनर्स्थापन		
18.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बिजली एवं दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन		

19.	तटबंधों की टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाइयाँ		
20.	जिला/राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक		
21.	बाढ़ से खराब हुए चापाकलों की मरम्मति		
22.	मृतकों के शवों का निपटान		
23.	पशु शवों का निपटान		
24.	मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान		
25.	राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय समुदाय एवं नागरिक संगठनों की भागीदारी		
26.	गैर सरकारी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सैक्टर/व्यक्तियो द्वारा राहत कार्यों में सहयोग		
27.	सूचना एवं मीडिया का प्रबंधन		
28.	जन शिकायतों का निपटान		
29.	मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई		
30.	बाढ के समय दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण		
31.	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष से राशि प्राप्त करने हेतु मेमोरेण्डम का सूत्रण		
32.	जिला, प्रखंड/नगर एवं पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समितियों की बैठकें		

अनुलग्नक– 09 (द्रष्टव्य कंडिका 3.3)

बाढ़ आपदा के दौरान नाव/नाविकों के संबंध में दिशा निर्देश का पत्र

पत्रांक 12 (प्र०) /आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

बाढ़ आपदा से प्रभावित सभी जिले।

पटना-15, दिनांक- 19/01/

विषय: बाढ़ आपदा के दौरान नाव-नाविकों के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

विगत वर्षों का यह अनुभव रहा है कि बाढ़ के आने के पश्चात नाव-नाविकों की खोज की जाती है, तथा उन्हें परवाना निर्गत किया जाता है। यह भी अनुभव रहा है कि परवाना निर्गत कर बाढ़ के दौरान इन परवाना प्राप्त नाविकों के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से पूर्व की तरह ही शुल्क की वसूली की जाती है और कहीं-कहीं यह शुल्क सामान्य दर से अत्यधिक होता है। इस प्रकार राहत एवं बचाव कार्य, में जहां एक ओर बिलम्ब होता है वहीं दूसरी ओर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सरकारी राशि के व्यय के बाद भी अपने स्तर से नाविकों को भुगतान करना पड़ता है। यह स्थिति सर्वथा आपत्तिजनक है। इस परिपेक्ष्य में कुशल आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

1. नाव एवं नाविकों को पूर्व से ही identify करके उनकी सूची रखी जाय।
2. आपदा के हेतु अधिग्रहित प्रत्येक नाव को एक अलग registration number दिया जाए जो उक्त नाव पर paint कर दिया जाएगा। बिना registration number के नाव का भुगतान कदापि नहीं होगा।

3. जिले के प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नाव परिचालन हेतु स्थल – start point तथा destination को चिन्हित कर दिया जाय और उसपर सरकारी नाव सेवा प्रारम्भ करते हुए वहां सरकारी घाट का बोर्ड लगा दिया जाए।

4. चिन्हित स्थलों के अनुसार ही परवाना निर्गत किया जाय।

5. इस प्रकार प्रत्येक चिन्हित स्थलों की सूची प्रत्येक पंचायत भवन/ अंचल/प्रखंड कार्यालय अनुमंडल कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाय।

6. हरेक नाव का अलग-अलग लॉग बुक खोला जाय। लॉग बुक नाव पर उपलब्ध रहेगा। हल्का कर्मचारी उक्त नाव परिचालन का प्रत्येक तीन दिन में एक बार log book का सत्यापन करेंगे।

7. नाविकों को इस प्रकार सत्यापित किये गये जल मार्ग में नाव परिचालन के विरूद्ध हो भुगतान किया जाय।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक– 10 (द्रष्टव्य कंडिका 3.10)

मानदर के मद सं0 1(च) के अन्तर्गत खाद्यान्न/नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र

पत्रांक-1 प्र0सं0-36/2002.......2965........../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

मानदर के मद स0 1(च) के अन्तर्गत खाद्यान्न/नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,

अपर आयुक्त ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार.

पटना-15, दिनांक- 25/9/08

विषयः बाढ़ प्रभावित परिवारों को साहाय्य- मानदर की मद संख्या 1 (च) के अंतर्गत खाद्यान्न/ नगद राशि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्रांक 32-34/2005 NDM-I दिनांक 27 जून 2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-2462 दिनांक 12.08.2007 द्वारा बाढ़/आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को निर्धारित साहाय्य मानदर के कंडिका- 4 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ''पूर्व की भांति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 16 [पुराना मानदर मद संख्या- (14)] में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय, के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् जारी रहेगा।''

चूंकि केन्द्रीय मानदर के मद संख्या 1 (च) में Gratuitous relief का प्रावधान किया गया है। इस लिए विभागीय मानदर की कंडिका 4 में की गई व्यवस्था को आपदा राहत कोष समिति की बैठक दिनांक 28.07.2008 को लिए गये निर्णय के आलोक में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

''बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच विभागीय मानदर के क्रमांक 1 (च) के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण तथा 250/-(दो सौ पचास) रुपये प्रति परिवार नगद भुगतान किया जायगा।''

विभागीय पत्रांक 2462/आ0प्र0 दिनांक 12.08.2007 द्वारा परिचारित मानदर को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रत्यय अमृत)

अपर आयुक्त

H:\...\2008-09\...\Khadyan nagad rashi

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002...2765.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-...25/9/08...

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002...2765.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-...25/9/08...

प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002...2765.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-...25/9/08...

प्रतिलिपि: श्री बी0 मुरली कुमार, निदेशक NDM-I, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन – I डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को विभागीय पत्रांक- 2462 दिनांक- 12.08.07, के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002...2765.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-...25/9/08...

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002...2765.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-...25/9/08...

प्रतिलिपि: माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को माननीय मुख्य मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

ज्ञापांक – I प्रा0आ0-36/2002...2765.../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-...25/9/08...

प्रतिलिपि: माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को माननीय राज्यमंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

अनुलग्नक– 11 (द्रष्टव्य कंडिका 3.12)

संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैया कराने के संबंध में पत्र

पत्रांक 1 आ0प्र0 -36/2002/[illegible]

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ आयुक्त एवं सचिव/ सचिव,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18/8/07

विषय :- वर्ष 2005-10 तक के लिए दिनांक- 27.06.2007 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैया कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक-32-34/2005- एन0डी0एम0 I दिनांक 27.06.2007 के द्वारा आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से वर्ष 2005-2010 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर निर्धारित किया गया है ।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर आपदा राहत कोष समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-34/2005/एन0डी0एम0-I, दिनांक 27 जून 2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित निम्नांकित साहाय्य मानदर राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम संख्या	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र सं0- 32-34/2005/एन0डी0एम0 I दिनांक 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर। (2005-2010) तक के लिए । (दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी)
1.	अनुग्रह अनुदान: (क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	1.00 लाख रुपये प्रति मृतक । राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसमें यह सत्यापित होगा कि मृत्यु सी0आर0एफ0 और एन0सी0सी0एफ0 के योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है।

		➢ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में साहाय्य कार्य/ तैयारी सरकारी कर्मी/ साहाय्य कर्मी (अधिसूचित प्राकृतिक आपदा परिणामस्वरूप, या आपदा की पूर्व तैयारी के दौरान यथा मॉक ड्रिल इत्यादि में लगे) की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को 1. **लाख रूपये** का अनुदान अनुमान्य होगा।
		➢ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।
		➢ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार *को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।*
	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	(i) 35,000/-रू0 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 75 प्रतिशत के बीच सरकारी डॉक्टर या सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा सत्यापित हो) (ii) 50,000/-रू0 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 75% से अधिक का होना सरकारी डॉक्टर या सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा सत्यापित हो)
	(ग) गंभीर चोट (Grievous Injury) जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्ती होना पड़े।	➢ 7,500/-रू0 **प्रति व्यक्ति** । (गंभीर चोट (Grievous Injury) ऐसा हो जिसके चलते एक सप्ताह से अधिक हॉस्पीटल में रहना पड़े)। ➢ **2,500/-रू0 प्रति व्यक्ति।** (गंभीर चोट अथवा घाव (Grievous Injury) ऐसा हो जिसके चलते एक सप्ताह से कम हॉस्पीटल में रहना पड़े)।
	(घ) वृद्ध, अपाहिज (Infirm), एवं निःसहाय बच्चों (destitute children) के लिए अनुदान।	➢ 20/-रू0 प्रति व्यस्क प्रतिदिन। ➢ **15/-रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन।**
	(ङ) प्राकृतिक आपदा के कारण जिन परिवारों का घर बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक जलप्लावित हो गया हो उनके लिए वस्त्र और बर्त्तन/ घरेलू सामान हेतु अनुदान।	➢ **कपड़ा के लिए - 1,000/-रू0 प्रति परिवार।** ➢ **बर्तन/ घरेलू सामान के लिए- 1,000/-रू0 प्रति परिवार।**
	(च) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता	20/- रू0 प्रति व्यस्क तथा 15/- **रू0 प्रति बच्चा** प्रतिदिन। <u>अनुग्रह साहाय्य अनुदान प्रदान करने</u> की अवधि:- (i) **प्राकृतिक आपदा, सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर**

mukul my doc Ravindra mandar letter 2007.doc

	जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।	(सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 15 दिन। ➢ उपरोक्त अधिसूचित गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से **अधिकतम 30 दिन** तक और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आँकलन के अनुसार। **(ii) सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 60 दिन भयंकर सूखा/ कीट आक्रमण की स्थिति में 90 दिन तक। ➢ यदि सूखा या कीट आक्रमण की स्थिति 90 दिनों के बाद भी बरकरार रहती है तो वैसी स्थिति में राज्य स्तरीय समिति माहवार समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक माह में निर्णय लेगी कि पुनः आगे की किस अवधि तक के लिए सी0आर0एफ0 से मानदर मुहैय्या किया जाएगा।
2.	अनुपूरक पोषण आहार (Supplementary Nutrition)	**2/- रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** आई0सी0डी0एस0 मानदर के अनुसार। <u>साहाय्य प्रदान करने की अवधि:-</u> **(i) प्राकृतिक आपदा, सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 30 दिनों तक सी0आर0एफ0 से राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति प्राप्त कर और एन0सी0सी0एफ0 से केन्द्रीय दल के आँकलन के अनुसार। **(ii) सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ **अधिकतम 60 दिन तक** साहाय्य मुहैय्या किया जा सकता है। ➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आंकलन के अनुसार 90 दिनों तक साहाय्य मुहैय्या करायी जा सकती है।
3.	प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/ सीमांत कृषकों को साहाय्य। (क) कृषि भूमि का डिसिल्टिंग।	**6000/- रू0 प्रति हेक्टेयर।** (जहाँ बालू/ सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

mukul/my doc/Ravindra/mandar letter 2007.doc

	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि के डेबरिस(मलबा) हटाने के लिए।	6000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।
	(ग) मछली फार्मो का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति।	6000/- रू0 प्रति हेक्टेयर। (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता/ सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो
	(घ) भूस्खलन/ बर्फ का पहाड़ से खिसकना (Avalanche), नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	15,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर। (सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार खोई हुई जमीन के वैध मालिक हों।
	(ङ) कृषि इनपुट सब्सिडी जहाँ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो-	
	(i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए।	➢ 2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए । ➢ 4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए । (क) अज्ञात (Unown) या परती (fallow) पड़े कृषि योग्य जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नहीं दी जाएगी।
	(ii) "पेरिनियल" (शाश्वत्) फसल के लिए।	6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए। (क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नहीं दी जाएगी।
4.	लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक, 2 हेक्टेयर प्रति कृषक, अनुवर्ती आपदा के मामले में चाहे जमीन का आकार कैसा भी हो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा । ➢ 2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ 4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।

mukul\my doc\Ravindra\mandal letter 2007.doc

		➢ 6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए।
		○ बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा।
5.	लघु एवं सीमांत सेरीकल्चर (रेशम) किसानों के लिए साहाय्य।	2000/- रू0 प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलबेरी" एवं "तसर" के लिए। 2,500/- रू0 प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिए।
6.	रोजगार सृजन (e.g. NREGP, SGRY) संबंधी विभिन्न प्लान योजनान्तर्गत निधि उपलब्ध होने पर केवल अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति करने हेतु।	➢ न्यूनतम मजदूरी जो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के समान दैनिक मजदूरी। ➢ राहत कोष से योगदान प्रति व्यक्ति 8 किग्रा0 गेहूँ या 5 किग्रा0 चावल तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन- बशर्ते कि राज्य में स्टॉक उपलब्ध रहे। खाद्यान्न का मूल्य "आर्थिक मूल्य" के आधार पर तैयार किया जाना है। ➢ न्यूनतम मजदूरी का शेष भाग नगद के रूप में भुगतान किया जाएगा। नगद राशि न्यूनतम मजदूरी के 25% से कम नहीं होना चाहिए। ➢ उपर्युक्त सहायता एक माह में 10 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा (जिन क्षेत्रों में कोई अन्य योजनाएँ परियोजनाएँ जिसमें रोजगार सृजन का तत्व प्रभावी नहीं है वहाँ एक माह में 15 दिन) ➢ राज्य सरकार को आवंटित खाद्यान्नों को आवंटन आदेश निर्गत की तिथि से तीन माह के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का उठाव एवं उपयोग करना है। ➢ प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा इसकी गणना अलग-अलग मामलों में वास्तविक माँग के आधार पर आँकी जाएगी। ➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलित सहायता सी0आर0एफ0 द्वारा मुहैय्या कराये जाने वाली सहायता राशि से और केन्द्रीय दल द्वारा आकलित सहायता एन0सी0सी0एफ0 से मुहैय्या करायी जाएगी
7.	लघु एवं सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को पशुपालन संबंधी साहाय्य :-	
	(i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या दुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	<u>दूध देने वाला जानवर</u> (i) भैंस/ गाय/ ऊँट/ याक इत्यादि- 10,000/-रू0 की दर से

mukul-my doc\Ravindra\mandar letter 2007.doc

	(ii) भेंड़/ बकरी- 1,000 [illegible] अदुग्धकारी जानवर (i) ऊँट/ घोड़ा/ बैल इत्यादि- [illegible] रू0 की दर से। (ii) बछड़ा/ गदहा और टट्टू- 5,000/-रू0 की दर से। ➤ सहायता आर्थिक रूप से [illegible] जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और वह एक बड़े दुग्धकारी जानवर या चार छोटे अदुग्धकारी जानवर या एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा नामांकित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाती है। **पॉल्ट्री:-** ➤ **30/-रू0 प्रति चिड़ियों की दर** से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 300/-रू0 **की अधिकतम सीमा** के अंतर्गत होगी। पाल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। **टिप्पणी:-** इन मानदरों के अंतर्गत सहायता अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना (उदाहरणस्वरूप [illegible] चिड़ियों की क्षति जहाँ इन्फ्लुएंजा के कारण या किसी अन्य [illegible] के कारण हुई है जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा [illegible] चिड़ियों की क्षति [illegible] कराय हेतु [illegible] योजना से [illegible]
(iii) पशु शिविरों में [illegible] feed concentrate सहित	बड़ा पशु 20/- रू0 प्रतिदिन की दर से। छोटा पशु 10/- रू0 प्रतिदिन की दर से। सहायता प्रदान करने की अवधि (i) सुखा से भिन्न अधिसूचित आपदाओं के लिए- ➤ 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए। (ii) सुखा ➤ 60 दिनों तक के लिए प्रचण्ड [illegible] से 90 दिनों तक। ➤ 90 दिनों से अधिक सूखे की [illegible] रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर मानसून के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन [illegible] तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक NCCF से राहत मुहैय्या करायी जाय।

	(iii) पशु शिविरों में जलापूर्ति हेतु।	सी०आर०एफ० के अंतर्गत सहायता का आंकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर एन०सी०सी०एफ० से, सहायता प्रदान की जाएगी। **<u>सहायता उपलब्ध करने की अवधि</u>** (i) <u>सूखा से भिन्न अन्य अधिसूचित आपदाएं</u> ➢ अत्यधिक 15 दिनों की अवधि तक। (ii) <u>सूखा</u> ➢ 60 दिनों तक और प्रचंड सूखा की स्थिति में 90 दिनों तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति लगातार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आपदा के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक NCCF से राहत मुहैय्या करायी जाय।
	(iv) पशुदवा एवं टीकौषधि पर अतिरिक्त लागत (आपदा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए।	➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलित सहायता सी०आर०एफ० द्वारा मुहैय्या करायी जाएगी और केन्द्रीय दल द्वारा आकलित सहायता एन०सी०सी०एफ० से मुहैय्या करायी जाएगी।
	(v) पशु शिविर के बाहर पशुचारे की आपूर्ति।	➢ राज्यस्तरीय समिति स्वीकृत पशुचारा डीपो में पशुचारे के परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आपदा के कारण होनेवाली मूल्यवृद्धि का अलग अलग मामलों में सी०आर०एफ० से सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारण करेगी और केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर एन०सी०सी०एफ० से सहायता मुहैय्या कराया जाएगा।
	(vi) उपयोगी पशुओं को अन्यत्र ले जाने हेतु।	➢ सी०आर०एफ० से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन०सी०सी०एफ० से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
8.	**मछुआरों के लिए साहाय्य:-** (अ) नाव और जाल क्षतिग्रस्त या खोया (lost) की मरम्मति /पुनर्स्थापना। • नाव • ---डोंगी (Dugout-Canoe) • ---मस्तूल से चलने- वाला जलयान (Catamaran) • ---जाल	➢ 2,500/-रू0 (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परम्परागत उपकरणों एवं जाल की मरम्मति हेतु) ➢ 7,500/-रू0 (पूर्णतः सभी प्रकार के परंपरागत क्षतिग्रस्त उपकरणों एवं जाल के प्रतिस्थापन के लिए) • ऐसे परम्परागत उपकरणों का राज्य सरकार के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। क्षति की सीमा (आंशिक या पूर्ण) राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित/ सत्यापित किया जाना है।

[illegible]

	(यदि लाभुक किसी सक्षम आपदा या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी/सहायता पाने के योग्य हैं या सहायता का उपभोग कर लिया हो तो उन्हें यह साहाय्य नहीं प्रदान किया जाएगा)	
	(ख) [illegible] का [illegible] के लिये अनुदान।	4,000/-रू0 प्रति [illegible] अगर लाभुक सरकार [illegible] किसी [illegible] योजना के तहत योग्य हैं सरकार तक्षण आपदा के लिए अनुदान/ सहायता प्राप्त कर लिए हैं उन्हें यह सहायता नहीं दिया जाएगा। (यदि किसी ने एक बार पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन [illegible] कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त कर [illegible] है तो उसे छोड़कर)
9.	**हस्तशिल्प/ हस्तकरघा क्षेत्र के शिल्पियों (artisans) को उनके क्षतिग्रस्त उपकरणों के मरम्मति एवं पुनर्स्थापना हेतु:-**	
	(क) परम्परागत शिल्पी के लिए (हस्तशिल्प,Handicraft)।	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरण के पुनर्स्थापन (Replacement) के लिए :-	**2,000/-रू0 प्रति [illegible]** ➤ क्षति/ प्रतिस्थापन [illegible] [illegible] द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित [illegible] है।
	(ii) कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल (goods in process)/तैयार माल (finished goods) की क्षति के लिए :-	➤ कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल/ तैयार माल की क्षति के लिए **2,000/-रू0 प्रति शिल्पी।** ➤ क्षति/ हानि राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है;
	(ख) हस्तकरघा बुनकरों के लिए।	
	(i) करघा उपकरणों और पार्ट पुर्जो (accessories) की मरम्मति एवं पुनर्स्थापना हेतु :-	**सूप उपकरणों और साहायक उपकरण का मरम्मति/ प्रतिस्थापन** **<u>हस्तकरघा की मरम्मति के लिए</u>** ➤ **1,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** **<u>हस्तकरघा के प्रतिस्थापन के लिए</u>** ➤ **2,000/-रू0. प्रति हस्तकरघा।** ➤ क्षति/ पुनर्स्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।

[illegible] circular letter 2007.doc

	(ii) सूत एवं अन्य सामग्रियां यथा रंग, रसायन और तैयार भंडार की खरीद के लिये :-	➢ 2,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा। ➢ क्षति/ पुनर्स्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
10.	**क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुनर्स्थापन हेतु सहायता:-**	➢ क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित एक प्राधिकृत संरचना **(authorized construction)** होना चाहिए। ➢ घर की क्षति की सीमा **(extent)** राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना है।
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/ बर्बाद मकान।	
	(i) पक्का मकान । (ii) कच्चा मकान ।	➢ **25,000/-रू0 प्रति मकान।** ➢ **10,000/-रू0 प्रति मकान।**
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान।	
	(i) पक्का मकान । (ii) कच्चा मकान।	➢ **5,000/-रू0 प्रति मकान।** ➢ **2,500/-रू0 प्रति मकान।**
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान- पक्का/ कच्चा दोनों (झोपड़ी से भिन्न) (जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15 % हो)।	➢ **1,500/-रू0 प्रति मकान।**
	(घ) झोपड़ी(Huts): <u>क्षतिग्रस्त/ बर्बाद</u>	**2,000/-रू0 प्रति झोपड़ी।** ➢ (झोपड़ी का अर्थ- अस्थायी, बनाकर हटाने वाली ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)
11.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति।	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
12.	महामारियों की रोकथाम के लिए रोगाणुनाशक/ कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था।	"तथैव"
13.	अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप पशुओं एवं कुक्कुट को महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य सहायता।	"तथैव"
14.	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर निष्कासन।	"तथैव"

15.	जीवन रक्षा/ तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु भाड़े की नाव की व्यवस्था।	"गाईड" ○ अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान फंसे लोगों का जीव बचाने हेतु नावों के किराया पर लेने एवं अपेक्षित उपकरणों पर वास्तविक खर्च के अंतर्गत साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) सीमि रहेगी।
16.	आपदा प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। (राहत शिविर का कार्य operation of relief camps)	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ○ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च अंतर्गत होगी। **<u>अवधि</u>** ➢ सूखा से भिन्न प्राकृतिक आपदा के मामले में अधिकतम दिनों की अवधि तक। ➢ सूखा से भिन्न गंभीर (severe) प्राकृतिक आपदा के माम में अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक। **<u>सूखा</u>** ➢ सूखा के मामले में राहत प्रदान करने की अवधि अधिकतम 60 दिनों की रहेगी और गंभीर सूखा (severe drought) स्थिति में 90 दिनों की अवधि तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने व मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभा के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लि विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक राहत मुहैय्या करायी जाय।
17.	आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहायता की प्रमात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/ अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक हीं सीमित रहेगी।
18.	पात्रता प्राप्त (eligible sectors) में तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति/ पुनर्स्थापन:- ➢ (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य, (3) सिंचाई,	**<u>तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप</u>** ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (works of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **<u>समय अवधि</u>** ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों को प्रारंभ (For Undertaking) करने के लिए निम्नांकित समय सीमा निर्धारित की गई:

mukul.ms doc\Ravindranandan letter 2007.doc

	(4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विधुत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) प्राथमिक शिक्षा, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ। ➢ Telecommunication और ऊर्जा जैसे sectors (तत्काल विधुत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनःस्थापन कार्य अपनी निधि/ स्त्रोत से करते है वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) हैं।	समतल क्षेत्रों के लिए (क) सामान्य आकार के आपदा के मामले में 30 दिन। (ख) प्रचंड आकार के आपदाओं के लिए 45 दिन। पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर पुर्वी राज्यों के लिए (क) सामान्य आकार के आपदाओं के मामले में 45 दिन। (ख) प्रचंड आकार के आपदाओं के लिए 60 दिन। आवश्यकताओं का आंकलन ➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
19.	सरकारी अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सकीय उपकरणों और नष्ट दवाओं का पुनर्स्थापन।	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ○ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
20.	एम्बुलेन्स सेवाएँ, चलन्त चिकित्सा दलों एवं अस्थायी अस्पतालों के संचालन केवल पी0ओ0एल0 के लिए।	➢ तथैव ➢ मदों की सूची, जो संचालन मूल्य के अंतर्गत आती है में निम्नांकित संचित रहेंगे:- ○ अस्थायी चिकित्सीय शिविर अस्थायी अस्पतालों को स्थापित करने का खर्च। ○ एम्बुलेंस गाड़ी को भाड़े पर लेना। ○ सिर्फ चलन्त चिकित्सक दलों के लिए। ○ परिवहन गाड़ियों का भाड़े पर लेना। ○ चलन्त चिकित्सक दलों के लिए एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का वास्तविक पी0ओ0एल0 खर्च।
21.	मलवा की सफाई पर व्यय।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी। ➢ मलवों की सफाई के खर्च में सिर्फ आवासीय क्षेत्र के मलवे के पत्थर, ईंट, स्टील/ लोहा की सफाई तक ही सीमित रहेगी।
22.	प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के जल की निकासी।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से

		सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➤ सहायता की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
23.	खोज एवं बचाव के उपाय पर व्यय।	➤ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➤ सहायता की प्रमात्रा (Quantum) अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के 2 सप्ताह की अवधि के अंतर्गत खोज एवं बचाव कार्य में हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
24.	मृत मानव एवं पशुओं के लाशों का निष्पादन।	➤ राज्य सरकार के प्रतिवेदन या केन्द्रीय दल की अनुशंसा के अनुसार वास्तविक आधार पर ।
25.	राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल राज्य के बहुशासनीय विशेषज्ञ समूहों/ दलों/ विभिन्न संवर्गों एवं संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण।	➤ राज्य स्तरीय समिति के आकलन के अनुसार सिर्फ सी0आर0एफ0 से ही (एन0सी0सी0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➤ मद संख्या 25 और 26 में संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि सी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन (Allocation) के 10 % से अधिक नहीं होनी चाहिए।
26.	आपदा राहत कोष के वार्षिक उपबंध के 10% के अंतर्गत यातायात उपकरण सहित आवश्यक खोज, बचाव/ निष्कासन के उपकरणों की प्राप्ति।	"तदैव"

क्रमांक	नया मद	निर्धारित मानदंड
27.	भूस्खलन, बादल का फटना और बर्फ का गिरना (avalaunches)	➤ ऊपर सूचित विभिन्न अधिसूचित आपदाओं में लागू मानदंड विभिन्न मदों के अनुसार।
28.	हानिकारक जीव या कीटाणु आक्रमण (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का प्रकोप)	➤ Pest आक्रमण के चलते फसल हानि हेतु सहायता उसी प्रकार देय होगी, जैसा कि अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को फसल क्षति के पश्चात् देय होता है। ➤ Pest आक्रमण के लिए खर्च कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए चालू योजना के अंतर्गत हवाई छिड़काव का वहन किया जाता है। व्यक्तिगत किसान की जमीन पर खेत दर खेत के आधार पर छिड़काव नहीं किया जाता है।

muktal-nv doc\Ravindra\mandar letter 2007.doc

		प्राकृतिक आपदा अग्निकांड के लिए वर्तमान मानदर
	(i) Fire (अग्निकांड)	○ आकस्मिक अग्निकांड के पश्चात् दी जाने वाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् क्षति/ जीवन, अंग, फसल, सम्पत्त इत्यादि के हानि के मदों में निर्धारित है। ○ साहाय्य की उपर्युक्त अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थापित की जाएगी। ○ जंगल में लगी आग (Forest Fire) से संबंधित घटना पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना-समन्वित वन संरक्षण योजना से आच्छादित होगा। जंगल की आग से हुए क्षति जीवन, अंग-भंग, फसल और सम्पति की क्षति के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को उसी प्रकार साहायय् अनुमान्य होगा जिस प्रकार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मामले में मानदर अनुमान्य है। (इस प्रकार की हानि समन्वित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है) ○ औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की घटना को बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित की जाय।

3. उपर्युक्त अंकित केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 11 से 26 तक के मदों में व्यय के संबंध में आपदा राहत कोष समिति द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा कि इन मदों में हुए व्यय की आपदा राहत कोष से किस हद तक भरपायी की जाय।

4. पूर्व की भांति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 16 [पुराना मानदर मद संख्या- (14) में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय] के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त् खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् जारी रहेगा।

5. केन्द्रीय मानदर के मद संख्या 16, [पुराना मानदर मद संख्या- (14) में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय] के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरांत अग्निकांड से पीड़ित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 25 किग्रा0 गेहूँ एवं 25 किग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् लागू रहेगा।

6. भारत सरकार के पत्र संख्या- 32-34/2005/एन0डी0एम0 I, दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित उक्त मानदर जो 2005 से 2010 के लिए है। वह राज्य में दिनांक- 27.06.2007 के प्रभाव से लागू होगा तथा केन्द्रीय आपदा राहत कोष से उसी के अनुरूप व्यय किया जाएगा।

7. पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाए।

8. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निश्चित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावी होंगे ।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ;

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि: श्री पी0 मुरली कुमार, निदेशक NDM-I, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को उनके पत्रांक- 32 34/2005 NDM-I दिनांक 27 जून 2007 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07
प्रतिलिपि: माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मुख्य मंत्री/ उप मुख्य मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

mukmenu doc Ravindra mandar letter 2007.doc

(परिशिष्ट मद संख्या-18 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूची:-

1. **पेय जलापूर्ति:**

(i) हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों / रिंगवेल्स/ स्प्रिंग-टैप्ड चेम्बर्स/ पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/ जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।

(ii) क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टेण्ड पोस्ट का पुनः स्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।

(iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।

2. **सड़क:**

(i) दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।

(ii) दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।

(iii) तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/ बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।

(iv) तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/ पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/ काऊजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/ यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।

3. **सिंचाई:**

(i) क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/ राज मिस्त्री का कार्य।

(ii) बांध/ तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।

(iii) नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/ मकान बनाने की सामग्रियाँ/ मलबों का बाहर निकालना।

4. **स्वास्थ्य:**

क्षतिग्रस्त पहुँच पथों/ भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।

5. **पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ:**

(क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मति।

(ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।

(ग) आंतरिक जलापूर्ति लाईन की मरम्मति।

(घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।

(ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।

पत्रांक- 1/प्रा0आ0-36/2002...2749.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 सतेन्द्र,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 18/9/09

विषयः **वर्ष 2005-10 तक के लिए दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन-I डिविजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक- 32-34/2005 ए0डी0एम0-I दिनांक 27.06.2007 द्वारा आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से वर्ष 2005-2010 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची एवं निर्धारित मानदर को विभागीय पत्रांक- 2462/आ0प्र0 दिनांक 12.08.2007, द्वारा लागू करते हुए परिचारित किया गया है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन-I प्रभाग) के पत्रांक 32-17/2008 NDM-I दिनांक 31 जुलाई, 2009 द्वारा मानदर के क्रम संख्या- 10 (क) (i) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुर्नस्थापन हेतु सहायता पूर्णतया क्षतिग्रस्त/ बर्बाद मकान के अंतर्गत पक्का मकान हेतु 25000/- रू0 प्रति मकान को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर 35,000/- रू0 प्रति मकान किया गया है।

दिनांक 02.09.2009 की संपन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में इसे राज्य में भी इस संशोधित मानदर को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव विभागीय पत्रांक 2462 दिनांक 12.08.2007 के मद संख्या- 10 (क) (i) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुर्नस्थापन हेतु सहायता पूर्णतया क्षतिग्रस्त/बर्बाद मकान के अंतर्गत पक्का मकान हेतु 25,000/- रू0 प्रति मकान को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर 35,000/- रू0 प्रति मकान किया जाता है।

यह संशोधित दर भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में दिनांक 31 जुलाई 2009 से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र)

विशेष सचिव

\\Mukul\com d (N)\From April 2009-10\Pre ss\Draft\Sanshodhit sahay mandar (16.09.09).doc

पत्रांक-I प्रा0आ0-63/2007................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्राकृति आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में पत्र

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 12/1/09

विषय: प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का/शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या- 32-34/2005- NDM-I, दिनांक 27.06.2007 से संसूचित अद्यतन मानदर के आलोक में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। सामान्यत: जिन मामलों में मृतक के शव मिल जाते हैं, उनमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा मृत्यु का कारण प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रमाणित किए जाने पर अनुग्रह अनुदान देने में कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु ऐसे मामले जिसमें प्राकृतिक आपदा के कारण यथा- बाढ़ की वजह से नौका दुर्घटना या फ्लैश फ्लड आने से मृतक का शव नहीं मिलता है उन मामलों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है । ऐसे मामलों में अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए दिनांक 31.10.08 को आयोजित आपदा राहत कोष समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदा के कारणों से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक माह की प्रतीक्षा की जाएगी । इन मामलों में स्थानीय थाना में लापता व्यक्ति के परिजनों द्वारा उसके लापता/ मृत्यु होने से संबंधित सूचना/ प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जाँच कराई जायेगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उस व्यक्ति के Next of kin को अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिला पदाधिकारी करेंगे। भुगतान करने से पूर्व इस आशय का बंधपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि यह पाया गया कि व्यक्ति जीवित है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुग्रह अनुदान की पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह) 12-1-09

प्रधान सचिव

अनुलग्नक– 13 (क) (द्रष्टव्य कंडिका 3.28)

(क) दैनिक बाढ़ प्रतिवेदन प्रपत्र–I

प्रपत्र – I

आपदा प्रबंधन विभाग (दैनिक बाढ़ प्रतिवेदन)

जिला का नाम :-

दिनांक

1	**प्रभावित प्रखंडों का नाम**		13	निष्क्रमित आबादी की संख्या		
2	प्रभावित पंचायतों की संख्या		14	साहाय्य कैम्प की संख्या		
	पूर्ण			कैम्प में विस्थापितों की संख्या		
	आंशिक		15	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		
3	प्रभावित गाँवों की संख्या			इलाज कराये गये व्यक्तियों की संख्या		
4	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)			वितरित हैलोजेन टेबलेट की संख्या		
	मनुष्य			छिड़के गये ब्लिचिंग पाउडर की मात्रा		
	पशु		16	साहाय्य केन्द्रों में गाड़े गये चापाकल		
5	**प्रभावित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)**			ऊँचे किये गये चापाकल की संख्या		
	कृषि योग्य			मरम्मति किये गये चापाकल की संख्या		
	गैर–कृषि योग्य		17	निर्मित अस्थाई शौचालयों की संख्या		
	कुल योग		18	पशु केन्द्र की संख्या		
6	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रफल			उपचार किये गये पशु की संख्या		
7	क्षतिग्रस्त फसलों का अनुमानित मूल्य		19	**वितरित खाद्यान्न**	परिवार	मात्रा
8	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			गेहूँ		
	कच्चा – पूर्ण			चावल		
	कच्चा – आंशिक		20	वितरित नगद अनुदान (रू0 लाख में)		
	पक्का – पूर्ण		21	वितरित तैयार भोजन का ब्यौरा		
	पक्का – आंशिक			चना		
	झोपड़ी			चूड़ा		
9	क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य			गुड़		
	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित मूल्य (रू0 लाख में)			सत्तु		
10	**मृतकों की संख्या**		22	दिया सलाई की संख्या		
	मनुष्य		23	किरासन तेल (लीटर में)		
	पशु		24	वितरित पोलीथीन शीट्स की संख्या		
11	कितने गाँव पानी से घिरे हैं		25	तटबंध Breach Location		
12	चलाये गये नाव की संख्या		26	अन्य सूचनाएँ		
	मोटरवोट					
	सरकारी नाव					
	निजी नाव					

जिला पदाधिकारी

C:\Documents and Settings\Administrator.HCL-DCDCE63A234\Desktop\Fire Control Room 2010\Flood 2010\Format Daily report (Proposed for 2010) 1\1

अनुलग्नक– 13 (ख) (द्रष्टव्य कंडिका 3.28)

(ख) साप्ताहिक बाढ़ प्रतिवेदन प्रपत्र IX

प्रपत्र–II

(Report for the week ended ..../2010)

Disaster Management Department, Government of Bihar

Form IX

Name of affected Districts-

No.	Name of District	No. of affected: Name of Blocks	Panchayats: Fully	Panchayats: Partly	Panchayats: Total	Villages: Fully	Villages: Partly	Villages: Total	Persons: lac	Animals: lac	Affected area (lac ha): Agric	Affected area (lac ha): NonAg	Affected area (lac ha): Total	Affected area (lac ha): Cropped	Estd crop damage (Rs lac)	Houses damaged: Pucca: Fully	Houses damaged: Pucca: Partly	Houses damaged: Kucha: Fully	Houses damaged: Kucha: Partly	Houses damaged: Huts	Houses damaged: Total
1	2	3	4	5	6	7a	7b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19A

Estd. Value of House damaged Rs in lac	Public property damaged (Rs lac)	Lives lost: Human	Lives lost: Animal	Population given in shelter: Relief camps	Population given in shelter: Population	No. of villages surrounded with water	Population on roads/rail tracks/ roof tops etc.	Boats: Motor	Boats: Govt	Boats: Pvt	Boats: Total	Centres: Relief	Centres: Health	Centres: Vet	Stock position (in MT): Wheat	Stock position (in MT): Rice	GR Distribution (in qtl): Wheat	GR Distribution (in qtl): Rice	GR Distribution (in qtl): Cash components
20	21	22	23	25	26	27A	27B	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37A	37 B

Ready food (qtl): Chana	Ready food (qtl): Salt	Ready food (qtl): Chura	Ready food (qtl): Sattu	Ready food (qtl): Gur	Ready food (qtl): Khichri	Material distributed: Chana (Rs. in lac)	Material distributed: Fodder (Rs. in lac)	Material distributed: Fodder (in qls.)	Material distributed: Matches (in nos)	Material distributed: Candles (in nos)	Material distributed: K Oil(in Liter)	Material distributed: Polythene (in Meter)	Packets dropped by air	Date of report
38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	52	53

Signature of District Magistrate

C:\Documents and Settings\Administrator HCL-DCDCE63A234\Desktop\Fire Control Room 2010\Flood 2010\Format Daily report (Proposed for 2010)

अनुलग्नक– 14 (क) (द्रष्टव्य कंडिका 3.30)

(क) जिला /प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र

पत्र संख्या-1प्रा0आ0-2-0-17/2001 1388 /आ0प्र0 ।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग ।

प्रेषक,

सी0 अशोक वर्धन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 24/7/04

विषय- जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर निम्न रूप से अलग-अलग राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है :-

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति-		अध्यक्ष ।
(II) अध्यक्ष, जिला परिषद	–	सदस्य ।
(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद एवं प्रखण्ड प्रमुख	–	सदस्य ।
(IV) (सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि)	–	सदस्य ।
(V) जिला पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव ।
(VI) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी	–	सदस्य ।

(ख) प्रखण्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख	–	अध्यक्ष ।
(II) सांसद, विधायक और मुखियागण	–	सदस्य ।
(III) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि	–	सदस्य ।
(IV) अंचल अधिकारी	–	सदस्य सचिव ।
(V) संबंधित विभागों के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी	–	सदस्य ।

(ग) पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) मुखिया	–	अध्यक्ष ।
(II) पंचायत वार्ड के सदस्यगण	-	सदस्य ।
(III) विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए		

Amar D:DM (Anu.-nigrani samiti)

निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी) - सदस्य ।

(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि - सदस्य ।

(V) पंचायत समिति के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के निवासी हों - सदस्य ।

(VI) पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी - सदस्य सचिव ।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा- अन्न, नकद राशि आदि का मुखिया, वार्ड सदस्य और मुखिया पद के लिये हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में गांवों/टोलों में वितरण किया जाएगा।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नकद राशि के संबंध में पूरी सूचना प्रखण्ड/पंचायत के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श पंचायत स्तर पर पंचायत राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड राहत-सह-निगरानी समिति और जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

8. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र संख्या 1435 दिनांक 20.08.01 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सी0 अशोक वर्धन)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सी0 अशोक वर्धन)

Amar/D/DM / Anu nigrani samiti

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी में प्रकाशित/प्रसारित कराने की व्यवस्था अविलम्ब की जाए ।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1388 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 24/7/04

प्रतिलिपि- माननीया मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सी0 अशोक वर्धन)
सरकार के सचिव ।

Amar/D/DM (Anu.-nigrani samity)

अनुलग्नक– 14 (ख) (द्रष्टव्य कंडिका 3.30)

(ख) नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र

पत्र संख्या- 1प्रा0आ0-2-0-17/2001 1004 /आ0प्र0।

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8/7/05

विषय-नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के गठन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यो को पारदर्शी बनाने एवंज न-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु नगर क्षेत्र के लिए निम्न रूप से राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

(क) जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु)

(I) प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति- अध्यक्ष
(II) अध्यक्ष जिला परिषद/महापौर नगर निगम/अध्यक्ष नगर निकाय- सदस्य
(III) जिला के सभी माननीय सांसद, विधायक, पार्षद- सदस्य
(IV) प्रखंड प्रमुख- सदस्य
(V) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य
(VI) जिला पदाधिकारी- सदस्य सचिव
(VII) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी- सदस्य

वर्तमान राष्ट्रपति शासन अवधि में प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के स्थान पर प्रमंडलीय आयुक्त जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति (नगर क्षेत्रों हेतु) के अध्यक्ष होंगे।

2. नगर राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति

(I) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष- अध्यक्ष
(II) नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य- सदस्य
(III) विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंद्वी)- सदस्य
(IV) सभी राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि- सदस्य

Amar/D/DM (Ann.-nigrani samity)

(V) नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य सचिव।

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री यथा अन्न, नकद राशि आदि का नगर वार्ड सदस्य और नगर वार्ड सदस्य के पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार की उपस्थिति एवं देख-रेख में नगर के मुहल्लों में वितरण किया जायेगा।

3. वितरण की जानेवाली सभी प्रकार की राहत सामग्री, नगद राशि के संबंध में पूरी सूचना नगरपालिका/नगर निकाय के सूचना-पट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा वितरण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. संबंधित जिला पदाधिकारी, द्वारा मुद्रित पर्चा के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श नगर निकाय/नगरपालिका स्तर पर नगर क्षेत्र राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति एवं जिला स्तर पर जिला राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तद्नुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जायें।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी से प्रकाशित/प्रचारित कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

(आलोक कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव

Amar/D/DM (Anu-nigrani samity)

ज्ञापांक 1004 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 8/7/05
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार पटना के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(आलोक कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव

Amar/D/DM (Anu.-nigrani samity)

अनुलग्नक— 14 (ग) (द्रष्टव्य कंडिका 3.30)

(ग) वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में पत्र

पत्र संख्या–1प्रा0आ0–2–0–17/2001...3883.../आ0प्र0

बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 11/12/07

विषय– वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपदा राहत कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु विभागीय पत्रांक–1388, दिनांक–24.07.04 द्वारा जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर अलग–अलग राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति गठित किया है । जिलों के नगर क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय वार्ड भी पूर्णतः या आंशिक रूप से वर्तमान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । प्रभावित ऐसे वार्डों में बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है । जिसके आलोक में पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के समानान्तर वार्डों में निम्न रूप से राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति का गठन किया जाता है :-

वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति

(I) संबंधित वार्ड आयुक्त- – अध्यक्ष

(II) विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य)- – सदस्य

(III) सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य – सदस्य

(IV) स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि – सदस्य

(V) संबंधित वार्ड के तहसीलदार – सदस्य सचिव

2. सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी सदस्य), स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख-रेख में वार्ड में वितरण किया जाएगा ।

3. वितरित की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्री के संबंध में पूरी सूचना वार्ड के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी ।

Mukul/Aly.doc/G.P.Pandey/Ward Anushrwan Samiti

4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अथवा मुद्रित पर्चा आदि के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र में अनुमान्य राहत (मानदर) के संबंध में सूचना आम लोगों को समय-समय पर दी जायेगी।

5. सभी बाढ़ राहत कार्यों तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श वार्ड स्तर पर वार्ड राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब की जाय। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश दिये जाएं ।

7. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3883/आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-11/12/07

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3883/आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-11/12/07

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुश्रवण की उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के बड़े समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी में प्रकाशित/प्रसारित कराने की व्यवस्था अवलिम्ब की जाए ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3883/आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-11/12/07

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3883/आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-11/12/07

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय (मुख्यमंत्री) मंत्री, के आप्त सचिव को माननीय विभागीय (मुख्यमंत्री) मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

Mukul/My.doc./G.P.Pandey/Ward Anushrwan Samiti

अनुलग्नक– 15 (कंडिका 4)

बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाइयों का चेकलिस्ट

क्र0	की जानेवाली कार्रवाई	हाँ	नहीं
1.	राहत वितरण		
2.	मुफ्त खाद्यान्न का वितरण		
3.	पूर्ण क्षति का आकलन		
4.	राहत वितरण		
5.	किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण		
6.	फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान		
7.	बाढ़ राहत कैम्प / मेगा कैम्पों में राहत की व्यवस्था		
8.	आधारभूत संरचनाओं की क्षति का आकलन		
9.	क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन / पुनर्निर्माण		
10.	महामारी की रोकथाम		
11.	जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था		
12.	बाढ़ के अंतिम प्रतिवेदन का प्रेषण		
13.	राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र		
14.	कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lesson learnt)		

अनुलग्नक– 16 (द्रष्टव्य कंडिका 3.5 तथा 4.1.6)

राहत केन्द्र के संबंध में पत्र

पत्रांक-1प्रा0आ0-32/2008....2499....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया, मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां।

पटना-15, दिनांक-5 सितम्बर, 2008

विषयः राहत केन्द्र के संबंध में ।

महाशय,

बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के संबंध में अभी भी कतिपय जिला पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हैं। बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था करनी है:

1. **पंजीकरण** – कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/सेविका/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/साक्षरता/सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/शिक्षक/पंचायत रोजगार सेवक की सेवा ली जा सकती है।

2. **पका हुआ भोजन** – विस्थापितो को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह-शाम) मुहैय्या कराया जाना है । इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। आपको मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु चावल का आवंटन किया गया है, जिसे इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवाएं इस कार्य हेतु में ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग की निर्धारित दर पर किया जाएगा।

	(ङ0) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से ।
	(च) तेल, मशाला, ईधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से ।
	(छ) रसोईयाँ के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा । (ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
	(ग) 1 माह मे 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा ।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
3. दरी/ चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था/ स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी । अनउपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी/ नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे ।
4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पाँच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र	(क) विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या-1(ङ0) के आलोक में 1000 रूपया अनुमान्य है इस राशि का वितरण वैसे परिवारों को किया जाएगा जिनका घर बह गया है/ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ।
6. पेयजल/ अस्थायी शौचालय/ स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय सी0 आर0 एफ0 मद से अनुमान्य होगा ।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय- यथा आवश्यकता।

उपरोक्त मानदर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/ कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि: माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\FM\My Doc\Relief Centre

पत्रांक – I प्रा0आ0 -36/2002/...2462...आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक

मनोज कुमार श्रीवास्तव,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ आयुक्त एवं सचिव/ सचिव,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना -15, दिनांक - 18/8/07

विषय :- **वर्ष 2005-10 तक के लिए दिनांक- 27.06.2007 से प्रभावी प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन - I डिविजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक-32-34/2005- एन0डी0एम0- I दिनांक- 27.06.2007 के द्वारा आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से वर्ष 2005-2010 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर निर्धारित किया गया है ।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर आपदा राहत कोष समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या-32-34/2005/एन0डी0एम0-I, दिनांक- 27 जून 2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित निम्नांकित साहाय्य मानदर राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम संख्या	**मद का नाम**	भारत सरकार के पत्र सं0-32-34/2005/एन0डी0एम0 I दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर। **(2005-2010) तक के लिए ।** **(दिनांक 27.06.2007 से प्रभावी)**
1.	**अनुग्रह अनुदानः** (क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	**1.00 लाख** रूपये प्रति मृतक । ➢ राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसमें यह सत्यापित होगा कि मृत्यु सी0आर0एफ0 और एन0सी0सी0एफ0 के योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है।

		➢ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में साहाय्य कार्य/ तैयारी में लगे सरकारी कर्मी/ साहाय्य कर्मी (अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप, या आपदा की पूर्व तैयारी के दौरान यथा मॉक ड्रिल इत्यादि में लगे) की मृत्यु होने की स्थिति मे उनके परिवार को 1.00 **लाख रूपये** का अनुदान अनुमान्य होगा।
		➢ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नही होगा।
		➢ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नही होगा।
	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	(i) **35,000/-रू0** प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 75 प्रतिशत के बीच सरकारी डॉक्टर या सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा सत्यापित हो) (ii) **50,000/-रू0** प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 75% से अधिक का होना सरकारी डॉक्टर या सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल के डॉक्टर द्वारा सत्यापित हो)
	(ग) गंभीर चोट (Grievous Injury) जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्त्ती होना पड़े।	➢ **7,500/-रू0 प्रति व्यक्ति** । (गंभीर चोट (Grievous Injury) ऐसा हो जिसके चलते एक सप्ताह से अधिक हॉस्पीटल में रहना पड़े)। ➢ **2,500/-रू0 प्रति व्यक्ति।** (गंभीर चोट अथवा घाव (Grievous Injury) ऐसा हो जिसके चलते एक सप्ताह से कम हॉस्पीटल में रहना पड़े)।
	(घ) वृद्ध, अपाहिज (Infirm), एवं नि:सहाय् बच्चों (destitute children) के लिए अनुदान।	➢ 20/-रू0 प्रति व्यस्क प्रतिदिन। ➢ **15/-रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन।**
	(ङ) प्राकृतिक आपदा के कारण जिन परिवारों का घर बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक जलप्लावित हो गया हो उनके लिए वस्त्र और बर्त्तन/ घरेलू सामान हेतु अनुदान।	➢ **कपड़ा के लिए - 1,000/-रू0 प्रति परिवार।** ➢ **बर्तन/ घरेलू सामान के लिए- 1,000/-रू0 प्रति परिवार।**
	(च) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता।	20/- रू0 प्रति व्यस्क तथा 15/- **रू0 प्रति बच्चा** प्रतिदिन। **<u>अनुग्रह साहाय्य अनुदान प्रदान करने की अवधि:-</u>** **(i) प्राकृतिक आपदा, सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर**

	जिनके पास खाद्यान्न नही है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।	(सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 15 दिन। ➢ उपरोक्त अधिसूचित गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से **अधिकतम 30 दिन** तक और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आँकलन के अनुसार। **(ii) सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ *अधिकतम 60 दिन भयंकर सूखा/ कीट आक्रमण की स्थिति* में 90 दिन तक। ➢ यदि सूखा या कीट आक्रमण की स्थिति 90 दिनों के बाद भी बरकरार रहती है तो वैसी स्थिति में राज्य स्तरीय समिति माहवार *समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक माह मे निर्णय लेगी कि पुनः आगे की* किस अवधि तक के लिए सी0आर0एफ0 से मानदर मुहैय्या किया जाएगा।
2.	अनुपूरक पोषण आहार (Supplementary Nutrition)	**2/- रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** आई0सी0डी0एस0 मानदर के अनुसार। **<u>साहाय्य प्रदान करने की अवधि</u>:-** **(i) प्राकृतिक आपदा, सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ अधिकतम 30 दिनों तक सी0आर0एफ0 से राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति प्राप्त कर और एन0सी0सी0एफ0 से केन्द्रीय दल के आँकलन के अनुसार। **(ii) सूखा एवं कीट आक्रमण को छोड़कर** (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का संत्रास) ➢ **अधिकतम 60 दिन तक** साहाय्य मुहैय्या किया जा सकता है। ➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आंकलन के अनुसार 90 दिनों तक सहाय्य् मुहैय्या करायी जा सकती है।
3.	प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु/ सीमांत कृषकों को साहाय्य्। *(क) कृषि भूमि का डिसिल्टिंग।*	**6000/- रू0 प्रति हेक्टेयर।** (जहॉ बालू/ सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों मे कृषि भूमि के डेवरिस(मलवा) हटाने के लिए।	**6000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।**
	(ग) मछली फार्मो का डिसिल्टिंग/ पुनर्स्थापना/ मरम्मति।	**6000/- रू0 प्रति हेक्टेयर।** (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता/ सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो
	(घ) भूस्खलन/ बर्फ का पहाड़ से खिसकना (Avalanche), नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	**15,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।** (सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार खोई हुई जमीन के वैद्य मालिक हैं।
	(ङ) कृषि इनपुट सब्सिडी जहाँ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो-	
	(i) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल आदि के लिए।	➢ **2,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए ।** ➢ **4,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल के लिए ।** (क) अज्ञात (Unown) या परती (fallow) पड़े कृषि योग्य जमीन के लिए कोई इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 250/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
	(ii) "पेरिनियल" (शाश्वत्) फसल के लिए।	**6,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर** सभी तरह के शाश्वत फसल के लिए। (क) कृषि योग्य बिना बुआई किए गए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नही दिया जाएगा। (ख) छोटी जमीन (tiny holding) वाले किसी छोटे किसानों को साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नही दी जाएगी।
4.	लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक, 2 हेक्टेयर प्रति कृषक, अनुवर्त्ती आपदा के मामले मे चाहे जमीन का आकार कैसा भी हो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में निम्नदर से देय होगा । ➢ **2,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर** वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ➢ **4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर,** सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।

		➢ **6,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर,** सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। ○ बिना बुआई किए या परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी नहीं दिया जाएगा।
5.	लघु एवं सीमांत सेरीकल्चर (रेशम) किसानों के लिए साहाय्य्।	**2000/- रू0 प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलबेरी" एवं "तसर" के लिए।** **2,500/- रू0 प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिए।**
6.	**रोजगार सृजन (e.g. NREGP, SGRY)** संबंधी विभिन्न प्लान *योजनान्तर्गत निधि उपलब्ध होने पर* केवल अतिरिक्त जरूरतों की पूर्त्ति करने हेतु।	➢ न्यूनतम मजदूरी जो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के समान दैनिक मजदूरी। ➢ राहत कोष से योगदान प्रति व्यक्ति 8 किग्रा0 गेहूं या 5 किग्रा0 चावल तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन- बशर्ते कि राज्य में स्टॉक उपलब्ध रहे। खाद्यान्न का मूल्य "आर्थिक मूल्य" के आधार पर तैयार किया जाना है। ➢ न्यूनतम मजदूरी का शेष भाग नगद के रूप में भुगतान किया जाएगा। नगद राशि न्यूनतम मजदूरी के 25% से कम नही होना चाहिए। ➢ उपर्युक्त सहायता एक माह मे 10 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा (जिन क्षेत्रों में कोई अन्य योजनाएँ परियोजनाएँ जिसमें रोजगार सृजन का तत्व प्रभावी नही है वहाँ एक माह मे 15 दिन) ➢ राज्य सरकार को आवंटित खाद्यान्नों को आवंटन आदेश निर्गत की तिथि से तीन माह के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का उठाव एवं उपयोग करना है। ➢ प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा इसकी गणना अलग-अलग मामलों में वास्तविक माँग के आधार पर आँकी जाएगी। ➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलित सहायता सी0आर0एफ0 द्वारा मुहैय्या कराये जाने वाले सहायता राशि से और केन्द्रीय दल द्वारा आकलित सहायता एन0सी0सी0एफ0 से मुहैय्या करायी जाएगी
7.	**लघु एवं सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को पशुपालन संबंधी साहाय्य् :-**	
	(i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यो में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	<u>दुध देने वाला जानवर</u> (i) **भैंस/ गाय/ ऊँट/ याक इत्यादि- 10,000/-रू0 की दर से**

		(ii) भेंड़/ बकरी- 1,000/-रू0 की दर से अदुग्धकारी जानवर **(i) ऊँट/ घोड़ा/ बैल इत्यादि- 10,000/- रू0 की दर से।** **(ii) बछड़ा/ गदहा और टट्टू- 5,000/-रू0 की दर से।** ➢ साहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह एक बड़े दुग्धकारी जानवर या चार छोटे अदुग्धकारी जानवर या एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा नामांकित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाना है। **पॉल्ट्री:-** ➢ **30/-रू0 प्रति चिड़ियों की दर** से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को **300/-रू0 की अधिकतम सीमा** के अंतर्गत होगी। पाल्ट्री चिड़ियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। **टिप्पणी:-** इन मानदरों के अंतर्गत साहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना (उदाहरणस्वरूप- चिड़ियों की क्षति पक्षी इंफलुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिकों को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो) द्वारा सहायता उपलब्ध हो।
	(ii) पशु शिविरों में पशुचारा/ feed concentrate हेतु।	**बड़ा पशु 20/- रू0 प्रतिदिन की दर से।** **छोटा पशु 10/- रू0 प्रतिदिन की दर से।** **सहायता प्रदान करने की अवधि** **(i) सुखा से भिन्न अधिसूचित आपदाओं के लिए:-** ➢ 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए। **(ii) सुखा** ➢ 60 दिनों तक के लिए प्रचण्ड सूखा के मामले में 90 दिनों तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभाव के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक NCCF से राहत मुहैय्या करायी जाय।

	(iii) पशु शिविरों में जलापूर्ति हेतु।	सी0आर0एफ0 के अंतर्गत सहायता का आंकलन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान की जाएगी। **<u>सहायता उपलब्ध करने की अवधि</u>** **(i) <u>सुखा से भिन्न अन्य अधिसूचित आपदाएँ</u>** ➢ अत्यधिक 15 दिनों की अवधि तक। **(ii) <u>सुखा</u>** ➢ 60 दिनों तक और प्रचंड सूखा की स्थिति में 90 दिनों तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभाव के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक NCCF से राहत मुहैय्या करायी जाय।
	(iv) पशुदवा एवं टीकौषधि पर अतिरिक्त लागत (आपदा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए।	➢ राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलित सहायता सी0आर0एफ0 द्वारा मुहैय्या करायी जाएगी और केन्द्रीय दल द्वारा आकलित सहायता एन0सी0सी0एफ0 से मुहैय्या करायी जाएगी।
	(v) पशु शिविर के बाहर पशुचारे की आपूर्ति।	➢ राज्यस्तरीय समिति स्वीकृत पशुचारा डीपो से पशुचारे के परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आपदा के कारण होनेवाली मूल्यवृद्धि का अलग-अलग मामलों में सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारण करेगी और केन्द्रीय दल के आंकलन के आधार पर एन0सी0सी0एफ0 से सहाय्य मुहैय्या कराया जाएगा।
	(vi) उपयोगी पशुओं को अन्यत्र ले जाने हेतु।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
8.	**मछुआरों के लिए साहाय्यः-** (अ) नाव और जाल- क्षतिग्रस्त या खोया (lost) की मरम्मति /पुनर्स्थापना। • ---नाव • ---डोंगी (Dugout-Canoe) • ---मस्तूल से चलने- वाला जलयान (Catamaran) • ---जाल	➢ **2,500/-रू0** (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परम्परागत उपकरणों एवं जाल की मरम्मति हेतु) ➢ **7,500/-रू0** (पूर्णतः सभी प्रकार के परंपरागत क्षतिग्रस्त उपकरणों एवं जाल के प्रतिस्थापन के लिए) • ऐसे परम्परागत उपकरणों का राज्य सरकार के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। क्षति की सीमा (आंशिक या पूर्ण) राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित/ सत्यापित किया जाना है।

	(यदि लाभुक किसी सक्षम आपदा या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी/सहायता पाने के योग्य हैं या सहायता का उपभोग कर लिया हो तो उन्हें यह साहाय्य नहीं प्रदान किया जाएगा)	
	(ब) मछली का जीरा के लिये अनुदान।	**4,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर।** अगर लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत योग्य हैं या सरकार तक्षण आपदा के लिए अनुदान/ सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जाएगा। (यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त कर लिया है तो उसे छोड़कर)
9.	**हस्तशिल्प/ हस्तकरघा क्षेत्र के शिल्पियों (artisans) को उनके क्षतिग्रस्त उपकरणों के मरम्मति एवं पुनर्स्थापना हेतुः-**	
	(क) परम्परागत शिल्पी के लिए (हस्तशिल्प,Handicraft)।	
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरण के पुनर्स्थापन (Replacement) के लिए :-	**2,000/-रू0 प्रति शिल्पी।** ➢ क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
	(ii) कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल (goods in process)/तैयार माल (finished goods) की क्षति के लिए :-	➢ कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल/ तैयार माल की क्षति के लिए **2,000/-रू0 प्रति शिल्पी।** ➢ क्षति/ हानि राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
	(ख) हस्तकरघा बुनकरों के लिए।	
	(i) करघा उपकरणों और पार्ट पुर्जो (accessories) की मरम्मति एवं पुनर्स्थापना हेतु :-	**लूम उपकरणों और साहायक उपकरण की मरम्मति/ प्रतिस्थापन** **हस्तकरघा की मरम्मति के लिए** ➢ **1,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** **हस्तकरघा के प्रतिस्थापन के लिए** ➢ **2,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** ➢ क्षति/ पुनर्स्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।

	(ii) सूत एवं अन्य सामग्रियों यथा रंग, रसायन और तैयार भंडार की खरीद के लिये :-	➤ **2,000/-रू0 प्रति हस्तकरघा।** ➤ क्षति/ पुनर्स्थापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से सत्यापित होना है।
10.	**क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुनर्स्थापन हेतु सहायता:-**	➤ क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित एक प्राधिकृत संरचना **(authorized *construction*)** होना चाहिए। ➤ घर की क्षति की सीमा **(extent)** राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना है।
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/ बर्बाद मकान।	
	(i) पक्का मकान । (ii) कच्चा मकान ।	➤ **25,000/-रू0 प्रति मकान।** ➤ **10,000/-रू0 प्रति मकान।**
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान।	
	(i) पक्का मकान । (ii) कच्चा मकान।	➤ **5,000/-रू0 प्रति मकान।** ➤ **2,500/-रू0 प्रति मकान।**
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान- पक्का/ कच्चा दोनों (झोपड़ी से भिन्न) (जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15 % हो)।	➤ **1,500/-रू0 प्रति मकान।**
	(घ) झोपड़ी(Huts): <u>क्षतिग्रस्त/ बर्बाद</u>	**2,000/-रू0 प्रति झोपड़ी।** ➤ (झोपड़ी का अर्थ- अस्थायी, बनाकर हटाने वाली ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)
11.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्त्ति।	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
12.	महामारियों की रोकथाम के लिए रोगाणुनाशक/ कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था।	"तथैव"
13.	अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप पशुओं एवं कुक्कुट को महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य सहायता।	"तथैव"
14.	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर निष्कासन।	"तथैव"

15.	जीवन रक्षा/ तत्काल साहाय्य् पहुँचाने हेतु भाड़े की नाव की व्यवस्था।	''तथैव'' ○ अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान फँसे लोगों का जीवन बचाने हेतु नावों के किराया पर लेने एवं अपेक्षित उपकरणों पर हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) सीमित रहेगी।
16.	आपदा प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। (राहत शिविर का कार्य operation of relief camps)	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ○ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी। **<u>अवधि</u>** ➢ सूखा से भिन्न प्राकृतिक आपदा के मामले में अधिकतम 15 दिनों की अवधि तक। ➢ सूखा से भिन्न गंभीर (severe) प्राकृतिक आपदा के मामले में अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक। **<u>सूखा</u>** ➢ सूखा के मामले में राहत प्रदान करने की अवधि अधिकतम 60 दिनों की रहेगी और गंभीर सूखा (severe drought) की स्थिति में 90 दिनों की अवधि तक। ➢ 90 दिनों से अधिक सूखे की स्थिति बरकरार रहने के मामलें में राज्यस्तरीय समिति माहवार समीक्षा के आधार पर आभाव के वास्तविक अवधि/ वर्षात के आगमन के समय तक के लिए विस्तृत समीक्षा के उपरांत निर्णय लेगी कि किस अवधि तक राहत मुहैय्या करायी जाय।
17.	आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहायता की प्रमात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्त्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुक्त वायुसेना/ अन्य एयरक्राफ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक हीं सीमित रहेगी।
18.	**पात्रता प्राप्त (eligible sectors) में तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति/ पुनर्स्थापनः-** ➢ (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्त्ति कार्य, (3) सिंचाई,	**<u>तत्कालिक प्रकार के क्रियाकलाप</u>** ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (works of an immediate nature) की सूची संलग्न **परिशिष्ट** में दर्शाया गया है। **<u>समय अवधि</u>** ➢ तत्कालिक प्रकृति के कार्यों को प्रारंभ (For Undertaking) करने के लिए निम्नांकित समय सीमा निर्धारित की गईः-

	(4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विधुत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) प्राथमिक शिक्षा, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ। ➢ Telecommunication और ऊर्जा जैसे sectors (तत्काल विधुत आपूर्ति के पुन:स्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और तत्काल मरम्मति पुन:स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्त्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) हैं।	**<u>समतल क्षेत्रों के लिए</u>** (क) सामान्य आकार के आपदा के मामले में 30 दिन। (ख) प्रचंड आकार के आपदाओं के लिए 45 दिन। **<u>पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए</u>** (क) सामान्य आकार के आपदाओं के मामले में 45 दिन। (ख) प्रचंड आकार के आपदाओं के लिए 60 दिन। **<u>आवश्यकताओं का आंकलन</u>** ➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा।
19.	सरकारी अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सकीय उपकरणों और बर्बाद दवाओं का पुनर्स्थापन।	○ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ○ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
20.	एम्बुलेन्स सेवाएँ, चलन्त चिकित्सा दलों एवं अस्थायी अस्पतालों के संचालन केवल पी0ओ0एल0 के लिए।	➢ तथैव ➢ मदों की सूची, जो संचालन मूल्य के अंतर्गत आती है में निम्नांकित संघित रहेंगे:- ○ अस्थायी चिकित्सीय शिविर/ अस्थायी अस्पतालों को स्थापित करने का खर्च। ○ एम्बुलेंस गाड़ी को भाड़े पर लेना। ○ सिर्फ चलन्त चिकित्सक दलों के लिए। ○ परिवहन गाड़ियो का भाड़े पर लेना। ○ चलन्त चिकित्सक दलों के लिए एम्बुलेंस और ट्रॅांसपोर्ट गाड़ियों का वास्तविक पी0ओ0एल0 खर्च।
21.	मलवा की सफाई पर व्यय।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी। ➢ मलवों की सफाई के खर्च में सिर्फ आवासीय क्षेत्र के मलवे के पत्थर, ईट, स्टील/ लोहा की सफाई तक हीं सीमित रहेगी।
22.	प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के जल की निकासी।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से

		सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
23.	खोज एवं बचाव के उपाय पर व्यय।	➢ सी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा। ➢ साहाय्य की प्रमात्रा (Quantum) अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा के 2 सप्ताह की अवधि के अंतर्गत खोज एवं बचाव कार्य में हुए वास्तविक खर्च के अंतर्गत होगी।
24.	मृत मानव एवं पशुओं के लाशों का निष्पादन।	➢ राज्य सरकार के प्रतिवेदन या केन्द्रीय दल की अनुसंशा के अनुसार वास्तविक आधार पर ।
25.	राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल राज्य के बहुशासनीय विशेषज्ञ समूहों/ दलों/ विभिन्न संवर्गों एवं सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण।	➢ राज्य स्तरीय समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ सी0आर0एफ0 से ही (एन0सी0सी0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ मद संख्या 25 और 26 में संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि सी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन (Allocation) के 10 % से अधिक नहीं होनी चाहिए।
26.	आपदा राहत कोष के वार्षिक उपबंध के 10% के अंतर्गत यातायात उपकरण सहित आवश्यक खोज, बचाव/ निष्कासन के उपकरणों की प्राप्ति।	''तथैव''

क्रमांक	नया मद	निर्धारित मानदर
27.	भूस्खलन, बादल का फटना और बर्फ का गिरना (avalaunches)	➢ उपर सूचित विभिन्न अधिसूचित आपदाओं में लागू मानदर विभिन्न मदों के अनुसार।
28.	हानिकारक जीव या कीटाणु आक्रमण (सिर्फ टिड्डी और दाँतों से कुतरने वाला जन्तु (Rodent) का प्रकोप)	➢ Pest आक्रमण के चलते फसल हानि हेतु सहायता उसी प्रकार देय होगी, जैसा कि अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को फसल क्षति के पश्चात् देय होता है। ➢ Pest आक्रमण के लिए खर्च कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा बड़े पैमानें पर बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए चालू योजना के अंतर्गत हवाई छिड़काव कर वहन किया जाता है। व्यक्तिगत किसान की जमीन पर खेत दर खेत के आधार पर छिड़काव नहीं किया जाता है।

29.		प्राकृतिक आपदा अग्निकांड के लिए वर्तमान मानदर
	(i) Fire (अग्निकांड)	○ आकस्मिक अग्निकांड के पश्चात् दी जाने वाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् क्षति/ जीवन, अंग, फसल, सम्पति इत्यादि के हानि के मदों में निर्धारित है। ○ साहायय् की उपर्युक्त अनुमान्यता राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित की जाएगी। ○ जंगल में लगी आग (Forest Fire) से संबंधित घटना पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना-समन्वित वन संरक्षण योजना से आच्छादित होगा। जंगल की आग से हुए क्षति जीवन, अंग-भंग, फसल और सम्पति की क्षति के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को उसी प्रकार साहायय् अनुमान्य होगा जिस प्रकार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मामले में मानदर अनुमान्य है। (इस प्रकार की हानि समन्वित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है) ○ औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की घटना को बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित की जाय।

3. उपर्युक्त अंकित केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 11 से 26 तक के मदों में व्यय के संबंध में आपदा राहत कोष समिति द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा कि इन मदों में हुए व्यय की आपदा राहत कोष से किस हद तक भरपायी की जाय ।

4. पूर्व की भाँति वर्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 16 [पुराना मानदर मद संख्या- (14) में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय] के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त् खाद्यान्न के रूप में 50 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 50 कि0ग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् जारी रहेगा।

5. केन्द्रीय मानदर के मद संख्या 16, [पुराना मानदर मद संख्या- (14) में आपदा राहत कोष समिति की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय] के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरांत अग्निकांड से पीड़ित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 25 किग्रा0 गेहूँ एवं 25 किग्रा0 चावल का वितरण करने का आदेश पूर्ववत् लागू रहेगा।

6. भारत सरकार के पत्र संख्या- 32-34/2005/एन0डी0एम0 I, दिनांक- 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित उक्त मानदर जो 2005 से 2010 के लिए है। वह राज्य में दिनांक- 27.06.2007 के प्रभाव से लागू होगा तथा केन्द्रीय आपदा राहत कोष से उसी के अनुरूप व्यय किया जाएगा।

7. पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाए ।

8. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावी होंगे ।

विश्वासिभाजन,

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07

प्रतिलिपि: श्री बी0 मुरली कुमार, निदेशक NDM-I, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन - I डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को उनके पत्रांक- 32-34/2005- NDM-I दिनांक- 27 जून 2007. के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - I प्रा0आ0 -36/2002/2462/आ0प्र0 दि0- 12/8/07

प्रतिलिपि: माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय उप मुख्य मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त एवं सचिव

(परिशिष्ट मद संख्या-18 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूची:-

1. **पेय जलापूर्त्ति:**

(i) हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों / रिंगवेल्स/ स्प्रिंग-टैप्ड चेम्बर्स/ पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/ जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।

(ii) क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनः स्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।

(iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।

2. **सड़क:**

(i) दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढ़े को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।

(ii) दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।

(iii) तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/ बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।

(iv) तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/ पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/ काऊजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/ यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।

3. **सिंचाई:**

(i) क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/ राज मिस्त्री का कार्य।

(ii) बांध/ तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।

(iii) नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/ मकान बनाने की सामग्रियाँ/ मलबों का बाहर निकालना।

4. **स्वास्थ्य:**

क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/ भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।

5. **पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ:**

(क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मति।

(ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।

(ग) आंतरिक जलापूर्त्ति लाईन की मरम्मति।

(घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।

(ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।

§क§ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलों में राहत सामग्रियों के दर निर्धारण एवं उपलब्धता के संबंध में अविलम्ब आवश्यक पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किन-किन जिलों में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिलान्तर्गत लगातार प्रयास के बावजूद सहायक सामग्रियों के दर निर्धारण की कार्रवाई अबतक पूरी नहीं की गई है।

§ख§ लगातार प्रयास के बावजूद जिन जिलों में दर निर्धारण की कार्रवाई अबतक पूरी नहीं हुई हो, ऐसे जिलों के जिला पदाधिकारी निविदा की प्रक्रिया द्वारा दर/आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण का आगे भी लगातार प्रयास करते रहेंगे। मात्र अकस्मात् परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही विशेष परिस्थिति में राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं :-

§i§ जिन जिलों में दर निर्धारण की कार्रवाई लगातार विशेष प्रयास के बावजूद भी पूरी नहीं हुई हो, और अकस्मात परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो संबंधित जिला पदाधिकारी अपने प्रमंडल के समीपवर्ती जिला जहाँ दर निर्धारण हुआ हो, वहाँ से राहत सामग्रियों की दर सूची एवं आपूर्तिकर्त्ता के बारे में सूचना प्राप्त कर बाढ़ के समय उसकी आपूर्ति उन निर्धारित आपूर्तिकर्त्ताओं से निर्धारित दर पर लेने की कार्रवाई करने हेतु अपने प्रमंडलीय आयुक्त से आदेश प्राप्त करेंगे।

§ii§ यदि किसी प्रमंडल के किसी भी जिले में लगातार प्रयास के बावजूद भी दर निर्धारण नहीं हुआ हो तो अकस्मात विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त अपने समीपवर्ती प्रमंडल से जहाँ दर-निर्धारण हुआ हो, से दर एवं आपूर्तिकर्त्ता की सूची प्राप्त कर बाढ़ के समय राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपने संबंधित जिला पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे।

4. अतः अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में बाढ़ 2005 से निपटने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

§आलोक कुमार सिन्हा§
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 1504 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 1|2|05

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।